695

[2018] 12 एस सी आर 695 ए

ए.

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 330) 1 अक्टूबर, 2018

बी.

[दीपक मिश्रा**,** मुख्य न्यायाधीश **,** ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़**,** जे. जे.**]**

भारत का संविधानःअनुच्छेद 32-हाल के दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ देश भर में भीड़ हिंसा, विरोध और प्रदर्शनों का विस्फोट-इस तरह की हिंसा से उत्पन्न सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान-प्रस्तुत करना कि कई फिल्मों, विशेष रूप से फिल्म पद्मावत की रिलीज से कानून और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हुईं-जनहित याचिका जिसमें उत्तरदाताओं को इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और उन्हें लागू करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।सामूहिक विरोध और प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश को रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश का मामला-आयोजितःहिंसा के ये कृत्य एक गहरी अस्वस्थता, दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता को उजागर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संविधान द्वारा गारंटीकृत वैकल्पिक दृष्टिकोण, कलात्मक अखंडता और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जाता है-किसी को भी कानून का स्व-नियुक्त संरक्षक बनने का अधिकार नहीं है और दूसरों पर कानून की अपनी व्याख्या को जबरन प्रशासित किया जाता है, विशेष रूप से हिंसक साधनों से नहीं-ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए या उपचारात्मक उपायों और दंडात्मक उपायों का वितरण राज्य में एक ही पुलिस में निहित होगा-इसलिए, संबंधित राज्यों में व्यापक संरचना विकसित की जाएगी ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भीड़ हिंसा में बदलने, जांच, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को रोकने में जवाबदेही और दक्षता के मुद्दों को विधिवत संबोधित किया जा सके।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सार्वजनिक और निजी संपत्ति मामला, निम्नलिखित के तहत जारी किया गया

मुखिया:संरचनात्मक और निवारक उपाय, आसन्न भीड़ हिंसा को कम करने के उपाय, हिंसा करने वाले व्यक्ति का दायित्व, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और मुआवजा-केंद्रीय और

एच.

695

696 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 12 एस. सी. आर.

राज्य सरकारें निर्धारित अवधि के भीतर सिफारिशों को लागू करेंगी।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** निजी संस्थाओं द्वारा विरोध और प्रदर्शनों में एक निराशाजनक वृद्धि हुई है, जिसमें अन्य के अलावा, फिल्मों और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी और लोगों के वर्गों को लक्षित किया गया है, जिसमें नैतिक आधार पर, विशेष रूप से, धमकियों और वास्तविक हिंसा का उपयोग किया गया है।स्पष्ट रूप से अवैध और गैरकानूनी होने के अलावा, हिंसा के ऐसे कृत्य एक गहरी अस्वस्थता को उजागर करते हैं, जो दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता है, जिसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक दृष्टिकोण, कलात्मक अखंडता और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जाता है।वास्तव में, जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, विशेष रूप से निजी पक्षों के खिलाफ, वे परिणाम और प्रतिशोध के डर के बिना ऐसा करते हैं, शायद यह मानते हुए कि निजी पक्षों के पास उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराने का साधन नहीं है।ऐसी स्थितियों में, राज्य को कदम उठाना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों को होने से रोकने के लिए उपाय करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां दोषी पक्षों को कानून के दायरे में लाने और किसी भी चूक के लिए समयबद्ध और पर्याप्त सजा देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें।इस न्यायालय ने समय-समय पर कानून की सर्वोच्चता को रेखांकित किया है और यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून का प्रशासन केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है।किसी को भी कानून का स्व-नियुक्त संरक्षक बनने और दूसरों पर जबरन कानून की अपनी व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से हिंसक तरीकों से नहीं।भीड़ की हिंसा हमारे स्थापित कानूनी सिद्धांतों के मूल के खिलाफ है क्योंकि यह अराजकता और अराजकता का संकेत देती है और ऐसे समूहों के अवैध और निंदनीय कृत्यों से अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।**[**पैरा **7] [723**-सी-डी**; 724**-ए-डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2 इस बात पर व्यापक सहमति है कि सिफारिशें

जी.

किए गए और दिए गए निर्देश पुनः दिए गए हैं:जनता का विनाश और

पैराग्राफ **3** पर निजी संपत्ति का मामला निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के बड़े पैमाने पर विनाश के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक है जो हिंसक विरोध और प्रदर्शनों के दौरान शांत हो जाता है।उक्त निर्णय में उल्लिखित समिति की सिफारिशें ए में मुद्दे की लंबाई और चौड़ाई को पार करती हैं।

एच.

697

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस.

हाथ और, यदि उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो व्यक्तियों और संपत्ति के खिलाफ हिंसा के अभिशाप को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।जहाँ तक उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन का संबंध है, और महान्यायवादी का निवेदन है कि संघ इन रे में दिए गए कथन को ध्यान में रखता है:सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश के मामले में, और राज्यों को अपने अक्षर और भावना में इसका पालन करने की सलाह दी है और इस न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप विधायी परिवर्तन शुरू करने के लिए एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया है, जिसका नाम है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, **2015,** जिसकी वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।**[**पैरा **9] [724-**जी-एच**; 725-**ए**]**

बी.

सी.

1.3 यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि सार्वजनिक नैतिकता के स्व-नियुक्त संरक्षकों के समूहों द्वारा किए गए अपराध विभिन्न कारणों या कारणों से हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के समूह का अंतर्निहित उद्देश्य अधिकार की गैरकानूनी शक्ति का प्रयोग करना है और वह भी राज्य की मंजूरी के बिना और जनता या समुदाय के किसी भी वर्ग के मन में भय पैदा करना है।इस तरह के अपराधों की घटनाओं को रोकने या उपचारात्मक उपायों और दंडात्मक उपायों की व्यवस्था राज्य में एक ही पुलिस में निहित होगी।इसलिए, संबंधित राज्यों में एक व्यापक संरचना विकसित करनी होगी ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भीड़ की हिंसा में बदलने, जांच, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जवाबदेही

और दक्षता के मुद्दों का विधिवत समाधान किया जा सके।ऐसा करते समय, इस न्यायालय द्वारा पुनः दिए गए निर्देशःजनता का विनाश और

डी.

ई.

निजी संपत्ति का मामला, शक्ति वाहिनी का मामला और तहसीन एस।

एफ.

पूनावाला के मामले को ध्यान में रखा जाना चाहिए।**[**अनुच्छेद **15] [742**-ए-सी**] 1.4** दिशाओं के अतिव्यापी क्षेत्र हैं जो यद्यपि संबंधित निर्णय में निर्दिष्ट स्थितियों पर लागू होते हैं।तत्काल रिट याचिका के उद्देश्य के लिए, यह देखा गया है कि व्यवस्था तहसीन पूनावाला मामले में हाल ही में लिए गए निर्णय के समान हो सकती है, जिसके कारण उक्त निर्णय में वर्णित दिशानिर्देशों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भीड़ की हिंसा में बदलने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में उचित रूप से लागू होना चाहिए।इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी शांतिपूर्ण विरोध के संबंध में इसी तरह के अंतरिम उपाय किए जाएंगे

जी.

एच.

698 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 12 एस. सी. आर.

ए.

भीड़ की हिंसा में बदलना, जनहानि या सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, जिसमें मन में भय पैदा करने और आम आदमी को आतंकित करने के लिए बनाई गई हिंसा शामिल है, उस प्रभाव के लिए किसी भी कानून के अभाव में।**[**पैरा **16] [742**-डी-एफ**]**

1.5 इसके तहत स्पष्ट की गई सिफारिशें/निर्देश संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल किए जाने वाले आवश्यक उपायों की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए हैं और इन री में दी गई सिफारिशों/निर्देशों के अतिरिक्त हैंःजनता का विनाश

बी.

और निजी संपत्ति का मामला।

A. संरचनात्मक और निवारक उपाय

क) तहसीन पूनावाला मामले में निर्धारित नोडल अधिकारी (ओं) को दी गई जिम्मेदारियों के अलावा, उक्त नोडल अधिकारी (ओं) जिले के भीतर थिएटर, सिनेमा हॉल, संगीत स्थल, प्रदर्शन हॉल और केंद्र और कला दीर्घाओं सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की एक सूची बनाने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होंगे, और पिछले **5** (पांच) वर्षों में भीड़ की हिंसा से

प्रभावित/क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों और संपत्ति की पहचान करेंगे।प्रतिष्ठानों के किसी भी नए उद्घाटन/समापन के लिए इस सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

ख) निर्धारित हथियारों के खिलाफ निषेध के अलावा

इन रे के पैराग्राफ **12 (II)** में:जनता का विनाश और

निजी संपत्ति मामले में, विरोध/प्रदर्शनों के दौरान किसी भी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित हथियार, लाइसेंस या अन्यथा पाए जाने पर प्रथम दृष्टया हिंसा करने का इरादा माना जाएगा और कानून के अनुसार उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

एफ.

ग) राज्य सरकारों को अधिमानतः जिलेवार त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन करना चाहिए जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हों और जिन्हें भीड़ की हिंसा के कृत्यों से निपटने के लिए जल्दी से जुटाया जा सके।इन दलों को कमजोर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के आसपास भी तैनात किया जा सकता है।

जी.

घ) राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष हेल्प लाइन स्थापित करनी चाहिए।

ङ) राज्य पुलिस अपनी वेबसाइट और इंटरनेट आधारित ए पर एक साइबर-सूचना पोर्टल बनाएगी और उसका रखरखाव करेगी।

एच.

699

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस.

भीड़ हिंसा और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आवेदन।**[**पैरा **16] [742**-एफ-एच**; 743**-ए-डी**]**

B. आसन्न भीड़ हिंसा को कम करने के उपाय, यदि समाप्त नहीं किए जाते हैं

क) नोडल अधिकारी (ओं) भीड़ हिंसा की घटनाओं के दौरान पुलिस स्टेशनों, अग्निशमन दस्तों, अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों सहित स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करेंगे ताकि स्थिति पर व्यापक और समेकित प्रतिक्रिया हो सके।

बी.

सी.

ख) अधिकारियों को गैर-घातक भीड़-नियंत्रण उपकरणों, जैसे पानी की तोपों और आँसू गैस के उपयोग पर विचार करना चाहिए, जो लोगों को कम से कम चोट पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही, भीड़ बल के खिलाफ एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करते हैं।ग) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौके पर पाए गए उपद्रवियों की गिरफ्तारी सही तरीके से की जाए।

डी.

घ) नोडल अधिकारी, कानून के अनुसार उचित कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें भीड़ हिंसा की प्रासंगिक अवधि के दौरान कानून के सक्षम प्रावधानों को लागू करके सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित संचार सेवाओं या मोबाइल एप्लिकेशन पर उचित प्रतिबंध लगाना शामिल है।ई) नोडल अधिकारी (ओं) को शांति बहाल करने और अफवाहों को रोकने/नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए और विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों से संदेश जारी करने चाहिए।इसका विस्तार स्थानीय टीवी चैनलों, रेडियो स्टेशनों, सोशल मीडिया जैसे ट्विटर आदि पर संचार जारी करने तक हो सकता है। [पैरा **16] [743**-ई-एच**; 744**-ए-बी**]**

ई.

एफ.

C. हिंसा करने वाले व्यक्ति की देयता

क) यदि हिंसा के आह्वान के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति को नुकसान होता है, और किसी प्रवक्ता के माध्यम से या किसी समूह/संगठन (ओं) के सोशल मीडिया खातों के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति (ओं) के खिलाफ दंड संहिता, **1860** की धारा **153** ए, **295** ए के सहपठित **298** और **425** के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

जी.

एच.

ए.

ख) ऐसे उदाहरणों में जहां किसी समूह/संगठन ने विरोध या प्रदर्शन किया है जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई है और संपत्ति को नुकसान हुआ है, ऐसे समूह/संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों को **24** (चौबीस) घंटों के भीतर पूछताछ के लिए खुद को उस पुलिस स्टेशन में पेश करना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में हिंसा और क्षति हुई है।ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी पर्याप्त कारण के इस तरह से खुद को पेश करने में विफल रहता है, उसके खिलाफ संदिग्ध के रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसमें कानून के अनुसार

भगोड़ा घोषित किया जाना भी शामिल है।ग) हिंसा के किसी भी कार्य को करने या शुरू करने, बढ़ावा देने, उकसाने या किसी भी तरह से ऐसा करने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि या संपत्ति को नुकसान होता है, ऐसी हिंसा के कारण हुए परिमाणित नुकसान को जमा करने या ऐसे परिमाणित नुकसान के लिए प्रतिभूति प्रदान करने पर सशर्त जमानत दी जा सकती है।हिंसा के ऐसे कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के मामले में, उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से, अलग-अलग और अप्रत्यक्ष रूप से परिमाणित नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।यदि उचित प्राधिकारी द्वारा नुकसान की मात्रा निर्धारित की जानी बाकी है, तो जमानत आवेदन की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश निर्णय के पैराग्राफ **15** में बताए गए सिद्धांत पर अस्थायी नुकसान की राशि (जो उचित प्राधिकारी द्वारा उसके अंतिम निर्धारण के अधीन होगी) की मात्रा निर्धारित कर सकता है।सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश का मामला, उस संबंध में मुकदमा चलाने वाले राज्य/एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद।**[**पैरा **16] [744-**सी-एच**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

D. पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी

क) जब हिंसा के किसी भी कार्य से संपत्ति को नुकसान होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को वैधानिक अवधि के भीतर जहां तक संभव हो, प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और जांच पूरी करनी चाहिए और उस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।पर्याप्त कारण के बिना वैधानिक अवधि के भीतर एफ. आई. आर. दर्ज करने और जांच करने में विफलता को संबंधित अधिकारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है।

जी.

एच.

701

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस.

ए.

बी) चूंकि नोडल अधिकारी (ओं) प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों और संपत्ति के खिलाफ भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए समग्र जिम्मेदारी रखते हैं, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने और/या

उस संबंध में जांच करने में किसी भी अस्पष्ट और/या अप्रमाणित देरी को भी उक्त नोडल अधिकारी **(**ओं**)** की ओर से निष्क्रियता माना जाना चाहिए।

बी.

(ग**)** इन रे के पैराग्राफ **5 (iv), 10** और **12** में उल्लिखित वीडियोग्राफी के संदर्भ में:सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश के मामले में**,** प्रभारी अधिकारी को पहले संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा बनाए गए स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों के पैनल से घटनाओं को वीडियो-रिकॉर्ड करने के लिए फोन करना चाहिए।यदि उक्त वीडियो ऑपरेटर किसी भी कारण से घटनाओं को रिकॉर्ड करने में असमर्थ हैं या यदि प्रभारी अधिकारी की राय है कि पूरक जानकारी की आवश्यकता है**,** तो वह निजी वीडियो ऑपरेटरों से भी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कह सकते हैं और मीडिया से अनुरोध कर सकते हैं।ऐसे अपराधों से संबंधित जांच **(**ओं**)**/परीक्षण **(**ओं**)** की स्थिति रिपोर्ट**,** जिसमें ऐसे परीक्षण **(**ओं**)** के परिणाम भी शामिल हैं**,** नियमित रूप से संबंधित राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।ऐसे अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति **(**व्यक्तियों**)** के बरी होने की स्थिति में**,** नोडल अधिकारी **(**अधिकारियों**)** को ऐसे बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए लोक अभियोजक के साथ समन्वय करना चाहिए।**[**पैरा **16] [745-**ए-बी**]**

सी.

डी.

ई.

ई**.** क्षतिपूर्ति

एफ.

क**)** वह व्यक्ति/व्यक्ति जिसने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ हिंसा का कोई कार्य शुरू किया है**,** बढ़ावा दिया है**,** उकसाया है या किसी भी तरह से किया है या जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन की हानि या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान होता है**,** उसे ऐसी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

जी.

ख**)** हिंसा के ऐसे कृत्यों से उत्पन्न होने वाले दावों को पुनः में निर्धारित तरीके से निपटाया जाना चाहिए:विनाश।

सार्वजनिक और निजी संपत्ति का मामला।

एच.

ए.

ग) यह क्षतिपूर्ति किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति, चल और अचल, के नुकसान के संबंध में होनी चाहिए।[पैरा **16] [745**-जी-एच**; 746**-ए-बी**]**

1.4 केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों को यथासंभव तेजी से लागू किया जाना चाहिए, अधिमानतः निर्धारित अवधि के भीतर।**[**पैरा **18] [746**-बी-सी**]**

बी.

इन रेःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। **(2009) 5** एससीसी **212:[2009] 6** एससीआर **439;** तहसीन एस**.** पूनावाला बनाम यूनियन

भारत और ओआरएस। ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3354; शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और अन्य। (2018) 7 एस. सी. सी. 192-पर निर्भर था।

सी.

कोशी जैकब बनाम भारत संघ और अन्य। **(2018) 11**

एस**.** सी**.** सी**. 756**-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

डी.

[2009] 6 एस**.** सी**.** आर**. 439** पैरा **9,15,16** ए**.** आई**.** आर**. 2018** एस**.** सी**. 3354** पैरा **7,15 (2018) 11** एस**.** सी**.** सी**. 756** पैरा **13 (2018) 7** एस**.** सी**.** सी**. 192** पैरा **15** पर निर्भर था।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 330

ई.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पी. वी. दिनेश।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., अमन लेखी, ए. एस. जी., रोहित भट, सुश्री माधवी दीवान, बी. वी. बलरामदास के लिए सुश्री चरण्या एल., अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1.याचिकाकर्ताओं ने 25 जनवरी, 2018 को वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जो हाल के दिनों में पूरे देश में भीड़ की हिंसा, विरोध और प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में हुई है, विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ और इस तरह की हिंसा से उत्पन्न सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है।याची संख्या 1 एक पंजीकृत फिल्म सोसायटी है और याची संख्या। 2, याची सं।1 फिल्म सोसायटी।

जी.

एच.

703

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

उन्होंने कई फिल्मों की रिलीज से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की समस्याओं को उजागर किया है, विशेष रूप से फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज के आसपास की हिंसा, और प्रस्तुत किया है कि कट्टरपंथी संगठन और छोटे समूह लोगों और संपत्ति के खिलाफ धमकी जारी कर रहे हैं और हिंसा के कृत्यों में शामिल हो रहे हैं ताकि इन फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनियों को इस बहाने से बाधित किया जा सके कि वे उनकी सांस्कृतिक/धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं।ये समूह पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति के खिलाफ हिंसा में संलग्न होते हैं और कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं।जिन फिल्मों का विरोध किया जाता है, उन्हें सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत कानून के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है और अपनी प्रदर्शनी को रोकने का प्रयास करके, ये समूह 'सुपर सेंसर' के रूप में काम करते हैं, नियंत्रण के बाहर और राज्य की मंजूरी के बिना गैरकानूनी अधिकार और शक्ति का प्रयोग करते हैं।फिल्मों पर ये हमले एक बड़ी समस्या का हिस्सा हैं जिसमें निजी व्यक्ति और समूह नागरिकों की कलात्मक स्वतंत्रता पर हिंसा की धमकी देकर गैरकानूनी प्रतिबंध लगाते हैं और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करते हैं।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रत्यर्थी राज्य सरकारें स्वयं कानून और व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए ऐसी फिल्मों की प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाती हैं, ऐसी समस्याओं के मूल कारण जैसे कि हिंसा भड़काने और करने वाले व्यक्तियों और समूहों पर नकेल नहीं कसती हैं।यह भी तर्क दिया जाता है कि ऐसे कई समूहों को सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों का मौन समर्थन प्राप्त है।

बी.

सी.

डी.

ई.

2. इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

“क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को इसके द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया जाए।

एफ.

माननीय न्यायालय ने पुनः कहाःसार्वजनिक और निजी संपत्ति का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2009) 5 एस. सी. सी. 212

सामूहिक विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय, और ऐसे प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए देयता तय करने और मुआवजे की वसूली के तौर-तरीकों के बारे में भी, विशेष रूप से उक्त निर्णय की एससीसी रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 और 15 में उल्लेख किया गया है।ख) पुनः निर्णय के पैरा 15 में बताए गए तरीके से दावा आयुक्त की नियुक्ति करनाःजनता का विनाश

जी.

और निजी संपत्ति बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2009) 5 एस. सी. सी. 212 से

एच.

प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन करना और न केवल अपराधियों पर बल्कि उन समूहों/संगठनों/संगठनों के नेताओं पर भी दायित्व तय करना जिन्होंने फिल्म निर्माताओं और प्रदर्शकों के खिलाफ अपनी धमकियों के साथ आंदोलन को उकसाया और फिल्मों की प्रदर्शनी को रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर आदि को नष्ट करने के अपने आह्वान के माध्यम से;

बी.

ग) सभी राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता 1860 और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने के लिए एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें, जो सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने और बाधित करने के इरादे से हिंसा और विनाश के कृत्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि यह न्याय के हित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है; और

सी.

डी.

घ) न्याय के हित में प्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन के खिलाफ धमकी देने वाले लोगों से फिल्म प्रदर्शनी केंद्रों को सुरक्षा प्रदान करने में शामिल अतिरिक्त खर्च की वसूली करने के लिए प्रतिवादियों

को निर्देश देते हुए एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें या कोई अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें; और

ई.

ई) न्याय के हित में समयबद्ध तरीके से ऐसे अपराधों में जांच और मुकदमे को पूरा करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें या कोई अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें; और

एफ.

च) मैंडमस की प्रकृति में एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें या कोई अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने और बाधित करने के इरादे से हिंसा और विनाश के कृत्यों को करने, उकसाने या उकसाने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत आवेदन, यदि कोई हो, केवल इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि वे उनके द्वारा किए गए नुकसान के बराबर राशि जमा करते हैं, या ऐसे परिमाणित नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और न्याय के हित में भी; और

जी.

एच.

705

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

छ) मैंडमस की प्रकृति में एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें या कोई अन्य उपयुक्त रिट या आदेश जारी करें कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्तियों और विरोध करने वाले समूहों के नेताओं की संपत्ति और संपत्तियां, जिन्होंने हिंसा और विनाश को उकसाया या उकसाया, न्याय के हित में, जब तक इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक किए गए नुकसान के लिए कुर्की के तहत बनी रहेंगी; और

बी.

ज) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को इस माननीय न्यायालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और तैयार किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन और कार्यान्वयन किया जाए।

सी.

इस माननीय न्यायालय द्वारा पुनः:सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2009) 5 एस. सी. सी., विशेष रूप से

उक्त निर्णय की एस. सी. सी. रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 और 15 में उल्लिखित है।

डी.

i) फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को खुली धमकी देने वाले संगठनों/समूहों/संगठनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के प्रावधानों को लागू करने के विकल्पों का पता लगाने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें, और समाज में आतंक फैलाकर अपने गैरकानूनी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनाश और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के व्यवस्थित और संगठित कृत्यों में लिप्त हों;

ई.

जे) कृपया मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के हित में कोई अन्य रिट या निर्देश या आदेश जारी करें जो माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।"3. मुख्य राहत राज्यों/भारत संघ को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी करना है।

एफ.

रीःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश और ओआरएस। 1 आंदोलनों, बंदों, हड़तालों आदि के नाम पर बड़े पैमाने पर संपत्तियों के विनाश से संबंधित। न्यायालय द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर ध्यान देने के बाद न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'पी. डी. पी. पी. अधिनियम'), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और अन्य आपराधिक कानून कानूनों में संशोधन की सिफारिश की; और यह भी निर्धारित किया कि

जी.

1 (2009) 5 एससीसी 212

एच.

वैधानिक ढांचे के अभाव में संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः"4. समितियों द्वारा दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं।मामले की लंबी सुनवाई हुई।न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस और श्री एफ. एस. नरीमन की अध्यक्षता वाली समितियों

की सिफारिशों पर विचार किया गया है।विद्वान न्यायमित्र द्वारा कुछ सुझाए गए दिशा-निर्देश भी प्रस्तुत किए गए हैं।

बी.

5.न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) पी. डी. पी. पी. अधिनियम में इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एक खंडन योग्य धारणा (अभियोजन पक्ष द्वारा दो पहलुओं को स्थापित करने के बाद) को शामिल किया जा सके कि अभियुक्त अपराध का दोषी है।

सी.

(ii) पी. डी. पी. पी. अधिनियम में संगठन के नेताओं को अपराध के लिए उकसाने का दोषी बनाने का प्रावधान है, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान करता है।

डी.

(iii) पी. डी. पी. पी. अधिनियम में खंडन योग्य अनुमान के लिए एक प्रावधान शामिल है।

(iv) पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने में सक्षम बनाना।

6. न्यायमूर्ति थॉमस समिति की सिफारिशें सामग्री पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर की गई हैं।

ई.

(i) के संबंध में

7. " इस समिति के अनुसार अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि किसी संगठन द्वारा बुलाई गई सीधी कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और आरोपी ने भी इस तरह की सीधी कार्रवाई में भाग लिया है।उस चरण से आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोझ सौंपा जा सकता है।इसलिए हमारा विचार है कि ऐसी स्थितियों में जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल हो जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने भी भाग लिया है, न्यायालय को यह अनुमान लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए कि अभियुक्त सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है और यह कि अभियुक्त इस तरह की धारणा का खंडन करने के लिए खुला है।पी. डी. पी. पी. अधिनियम में उस आशय के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा सकता है।"

एफ.

जी.

एच.

707

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

(ii) के संबंध में

8. "इसके बाद हमने विचार किया कि संगठनों के नेताओं को कितनी दूर तक पकड़ा जा सकता है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जब ऐसे संगठनों के इशारे पर बुलाई गई प्रत्यक्ष कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है।संगठनों द्वारा बुलाए गए इस तरह के प्रत्यक्ष कार्यों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का विनाश इतना व्यापक हो गया है।लगभग ऐसे सभी मामलों में ऐसे संगठनों के शीर्ष नेता जो वास्तव में इस तरह की प्रत्यक्ष कार्रवाइयों को उकसाते हैं, वे खुद को पृष्ठभूमि में रखेंगे और केवल संगठन के सामान्य या आम सदस्य या जमीनी स्तर के अनुयायी ही इस तरह की प्रत्यक्ष कार्रवाइयों में सीधे भाग लेंगे और अकेले वे ही इसके लिए असुरक्षित होंगे।

बी.

सी.

अभियोजन कार्यवाही।ऐसे कई मामलों में, नेता वास्तव में मुख्य अपराधी होते हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं।यदि वे जाल में नहीं फंसते हैं और उन्हें अभियोजन की कार्यवाही से मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इस तरह की प्रत्यक्ष कार्रवाई बेरोकटोक जारी रहेगी, यदि आगे नहीं बढ़ाई गई, और एक निरंतर या बार-बार होने वाला मामला बना रहेगा।

डी.

बेशक, आम तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य की मदद से अपराध के लिए उकसाने को साबित करना मुश्किल होता है।इस कमी को दूर किया जा सकता है।

काफी हद तक पी. डी. पी. पी. अधिनियम में इस आशय का अतिरिक्त प्रावधान करके कि संगठन के नेताओं की निर्दिष्ट श्रेणियां जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान करती हैं, उन्हें अपराध के लिए उकसाने का दोषी माना जाएगा।साथ ही, नहीं

ई.

निर्दोष व्यक्ति, संगठन का नेता होने के बावजूद, दूसरों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पीड़ित किया जाएगा।इसके लिए ऐसे निर्दोष नेताओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच को शामिल करने की आवश्यकता है।"

एफ.

(iii) के संबंध में

9. " इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि **(i)** यह साबित करने के लिए अभियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए कि वे आरोपी उस संगठन के नेता या पदाधिकारी थे जिसने प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया था और **(ii)** ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान या उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।मुकदमे के उस स्तर पर न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक अनुमान लगाने के लिए खुला होना चाहिए जो इस मामले में आरोपित हैं कि उन्होंने अपराध करने के लिए उकसाया है।

जी.

एच.

हालाँकि**,** ऐसे मामले में अभियुक्त दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह यह साबित करता है कि **(i)** वह अपने राजनीतिक दल द्वारा बुलाई गई कार्रवाई से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं था या **(ii)** उसने अपने संगठन द्वारा बुलाई गई सीधी कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सभी उचित उपाय किए हैं।**"**

बी.

(iv) के संबंध में

10. " समिति ने पी. डी. पी. पी. अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े मुकदमों में बिना शर्त बरी होने से बचने के लिए सबूत पेश करने के अन्य साधनों पर विचार किया। हमने महसूस किया कि जिन क्षेत्रों का दोहन किया जाना है, उनमें से एक वीडियोग्राफी के माध्यम से साक्ष्य भी है

सी.

समकालीन सामग्री जो मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। साक्ष्य अधिनियम में लाए गए संशोधनों के साथ, 2000 के अधिनियम 21 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से एकत्र किए गए साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार्य होने की अनुमति देते हुए,

हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं:

डी.

i) यदि किसी पुलिस स्टेशन या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रभारी अधिकारी की राय है कि किसी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई, या तो घोषित या अघोषित, में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या

नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, तो वह वीडियो ऑपरेटरों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनल बनाए रखने का अधिकार होगा, जिन्हें कम समय में उपलब्ध कराया जा सकता है।

ई.

((ii) पुलिस अधिकारी जिसके पास इस सूचना पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है कि एक सीधी कार्रवाई आसन्न है और यदि उसके पास यह आशंका करने का कारण है कि इस तरह की सीधी कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, तो वह तुरंत वीडियोग्राफर की सेवाओं का लाभ उठाएगा ताकि वह उसके साथ या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी के साथ उस स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जा सके जहां वीडियो शूटिंग से किसी भी हिंसा के कृत्य या किसी भी संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कृत्यों में लिप्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

एफ.

जी.

iii) प्रत्यक्ष कार्रवाई कम होने के तुरंत बाद, संबंधित पुलिस अधिकारी वीडियोग्राफर को उप-मंडल या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके वीडियो को प्रमाणित करेगा, जो अपने किए के बारे में अपना बयान दर्ज करेगा।मूल ए

एच.

709

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

अभिलिखित साक्ष्य प्रदर्शित करने में सक्षम टेप या सीडी या अन्य सामग्री उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला है कि वह ऐसी सीडी/सामग्री को पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंप सके जिसे उचित स्तर पर या जब भी बुलाया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए।

समिति ने महसूस किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए गिरफ्तार किए गए अपराधियों को जमानत प्राप्त करने के लिए और भी अधिक कठोर प्रावधान के अधीन किया जाएगा।ऐसे व्यक्तियों को जमानत देने में न्यायालय का विवेकाधिकार उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जहां न्यायालय को लगता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं है।यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 और कुछ अन्य आधुनिक आपराधिक कानूनों के अनुरूप है।

बी.

सी.

क़ानून।इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि उपरोक्त प्रतिबंध को लागू करने के लिए धारा 5 में संशोधन किया जा सकता है।

इस प्रकार हमारा विचार है कि विशेष कारणों को दर्ज करने की शर्त पर न्यूनतम सजा को कम करने के विवेक को कम करने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन, न्यायालय को "कारणों" के बजाय निर्धारित न्यूनतम सजा को कम करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना चाहिए।

डी.

हालाँकि, हमने महसूस किया कि कारावास के न्यायालय के अलावा अदालत को जुर्माना लगाने का अधिकार होना चाहिए जो घटना के दिन क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर है।जुर्माने का भुगतान न करने पर, अपराधी को आगे की अवधि के लिए कारावास से गुजरना होगा जो उसे वैकल्पिक कारावास का विकल्प चुनने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा।"

ई.

एफ.

11. हमारे अनुसार सिफारिशें अच्छी हैं और उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है।

12. निवारक कार्रवाई के तौर-तरीकों को प्रभावी बनाने और पूछताछ/जांच में शामिल करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

जी.

जैसे ही एक प्रदर्शन आयोजित किया जाता है:

(I) आयोजक जिस मार्ग पर जाना है उसकी समीक्षा और संशोधन करने और शांतिपूर्ण मार्च या विरोध के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए पुलिस से मुलाकात करेगा।

एच.

((2) चाकू, लाठी आदि सहित सभी हथियार प्रतिबंधित होंगे।

(III) आयोजकों द्वारा प्रत्येक संबंधित जंक्शन पर मार्शलों के साथ एक शांतिपूर्ण मार्च सुनिश्चित करने के लिए एक वचन दिया जाना है;

बी.

(4) पुलिस और राज्य सरकार इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की अधिकतम संभव सीमा तक वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेगी।

(V) प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रभारी व्यक्ति एसपी **(**यदि स्थिति जिले तक ही सीमित है**)** और राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा**,** जहां स्थिति एक जिले से परे फैली हुई है**;**

सी.

(VI) यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं**,** तो प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि घटनाओं की वीडियोग्राफी निजी संचालकों के माध्यम से की जाए और मीडिया और अन्य लोगों से विचाराधीन घटनाओं पर ऐसी आगे की जानकारी का अनुरोध भी करेगा।

डी.

(VII) पुलिस तुरंत राज्य सरकार को घटनाओं की रिपोर्ट के साथ सूचित करेगी**,** जिसमें नुकसान**,** यदि कोई हो**,** भी शामिल है।

ई.

(VIII) राज्य सरकार पुलिस रिपोर्ट और अन्य जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो उसके पास उपलब्ध हो सकती है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सहित एक याचिका दायर करेगी**,** जैसा कि मामला हो सकता है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे।

एफ.

13. जहाँ तक श्री एफ. एस. नरीमन की अध्यक्षता वाली समिति का संबंध है

संबंधित सिफारिशें और विचार अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैं:

“यातना और अपराध के बीच एक संबंध है-आपराधिक कानून का उद्देश्य जनहित की रक्षा करना और गलत करने वालों को दंडित करना है, यातना कानून का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों को सही साबित करना और पीड़ित को हुए नुकसान, चोट या क्षति की भरपाई करना है।हालाँकि-आपराधिक कानून और अपकृत्य के कानून के बीच उद्देश्य में अंतर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, और इसे मामले-दर-मामले विकसित किया गया है।कुछ अपकृत्यों में अनुकरणीय क्षति की उपलब्धता (उदाहरण के लिए) एक ए का सुझाव देती है

जी.

एच.

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

स्पष्ट रूप से दंडात्मक कार्य-लेकिन एक बात स्पष्ट है:अपराध और आपराधिक कानून ने हमेशा गलत काम के संबंध में एक निवारक कार्य साझा किया है।

अपकृत्य कानून के विकास का पूरा इतिहास एक निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो स्वाभाविक रूप से सभी सामान्य कानून देशों में समान नहीं है, कानूनी संरक्षण के योग्य के रूप में मान्यता देने के लिए, ऐसे हित जो पहले बिल्कुल भी संरक्षित नहीं थे या कभी-कभी संरक्षित थे और यह संभावना नहीं है कि यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई है या भविष्य में समाप्त होने वाली है।प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह की कहावतें हैं कि अत्याचार की श्रेणियां बंद नहीं हैं और दावे की नवीनता कोई बचाव नहीं है।लेकिन आम तौर पर, नई यातना स्थितियों को मान्यता देने वाली न्यायिक प्रक्रिया धीमी और गुप्त होती है क्योंकि न्यायाधीश नवाचार करने में सतर्क रहते हैं और वे शायद ही कभी अपनी रचनात्मक भूमिका की घोषणा करते हैं।आम तौर पर, समाज कल्याण या सार्वजनिक नीति के नए विचारों को समायोजित करने के लिए एक नए सिद्धांत को न्यायिक रूप से तभी स्वीकार किया जाता है जब वे समाज में अपनी मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, उदाहरण के लिए अतिरिक्त न्यायिक लेखन में और फिर भी नए सिद्धांत को स्वीकार करने का निर्णय मुख्य रूप से मौजूदा सिद्धांतों के विस्तार या प्रतिबंध द्वारा समर्थित होता है जो 'धीरे-धीरे एक नई सामग्री और अंत में एक नया रूप प्राप्त करते हैं'।

बी.

सी.

डी.

जहाँ व्यक्ति, चाहे संयुक्त रूप से या अन्यथा, एक विरोध का हिस्सा हैं जो हिंसक हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, वे व्यक्ति जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, या विरोध का हिस्सा थे या जिन्होंने आयोजन किया है, वे इस तरह से हुए नुकसान के लिए सख्ती से उत्तरदायी माने जाएंगे, जिसका मूल्यांकन सामान्य अदालतों द्वारा या अधिकार को लागू करने के लिए बनाई गई किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।

ई.

इस समिति का विचार है कि यह एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ के अवलोकन की भावना में है कि इस न्यायालय को उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की आवश्यकता है जिन पर दायित्व निर्धारित किया जा सकता है और उन मामलों में नुकसान का आकलन किया जा सकता है जिनमें भीड़ और दंगाई समूहों के व्यवहार के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है और निर्दोष व्यक्तियों को जान-माल का नुकसान होता है।ये स्पष्ट रूप से "असामान्य" हैं।

एफ.

जी.

ऐसी स्थितियाँ "जो उत्पन्न हुई हैं और भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है और जिन्हें न्याय के व्यापक हित में प्रदान करने की आवश्यकता है।

यह ऊपर दिए गए सिद्धांतों पर है (यह सुझाव दिया गया है) कि माननीय न्यायालय को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए और इसे विकसित करने का प्रयास करना चाहिए

एच.

712

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 12 एस सी आर।

उन स्थितियों का सामना करने के लिए नए सिद्धांत (दायित्व के) जो पहले से ही उत्पन्न हो चुकी हैं और भविष्य में फिर से उत्पन्न होने की संभावना है, ताकि दंगों और नागरिक हंगामे के परिणामस्वरूप सार्वजनिक या निजी जीवन, चोट और संपत्ति के नुकसान से प्रभावित व्यक्तियों के लिए त्वरित उपचार उपलब्ध हो सकें।

भारत में अपकृत्यों के कानून में नुकसान में शामिल हैं:

बी.

(ए) कुल प्रतिदान को सक्षम करने के लिए अंतराल में पुनर्स्थापन की अवधारणा के आधार पर नुकसान; और

(ख) अनुकरणीय क्षति "

14. नरीमन समिति द्वारा सुझाए गए बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार हैं जो हमें उपयुक्त लगते हैं:

सी.

(1) संपत्ति में अपकृत्यों (यानी गलतियों) में नुकसान को मापने का मूल सिद्धांत यह है कि 'इंटरग्रेनम में रेस्टिटूटो' होना चाहिए जो 'संपूर्ण बनाने' के विचार को व्यक्त करता है।(2) जहां संपत्ति को किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में की जानी है, वहां हर्जाने के रूप में मुआवजे के लिए दी जाने वाली राशि का निपटान करने में न्यायालय को जितना संभव हो उतना धन प्राप्त करना चाहिए, जो पीड़ित पक्ष को उसी स्थिति में डाल देगा, जिस स्थिति में वह होता यदि वह उस गलती को सहन नहीं करता जिसके लिए वह अब अपना मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्राप्त कर रहा है।(3) कानून की इस शाखा में, अंतराल में बहाली के सिद्धांत को कानून के "प्रमुख" शासन के रूप में वर्णित किया गया है।सहायक नियमों को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब वे उस नियम को प्रभावी बनाते हैं।

डी.

ई.

(3.1) अपकृत्य में ऐसी कार्रवाइयों में जहां नुकसान बड़े पैमाने पर होता है, यानी जो विशेष रूप से साबित किए जा सकने वाले आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, न्यायालय प्रतिवादी के उद्देश्यों, आचरण और अपकृत्य करने के तरीके को भी ध्यान में रख सकता है, और जहां इसने वादी की क्षति को बढ़ा दिया है, उदाहरण के लिए उसकी गरिमा, सुरक्षा और गर्व की उचित भावनाओं को चोट पहुँचाकर-गंभीर नुकसान दिया जा सकता है।गंभीर नुकसान वादी को उसकी घायल भावनाओं के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं-उन्हें अनुकरणीय नुकसान से अलग किया जाना चाहिए जो प्रकृति में दंडात्मक हैं और जिन्हें (अंग्रेजी कानून के तहत) मामलों की एक सीमित श्रेणी में दिया जा सकता है।

एफ.

जी.

एच.

713

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

(3.2) “अनुकरणीय क्षति "कई वर्षों से एक विवादास्पद विषय रहा है।इस तरह के नुकसान प्रतिपूरक नहीं हैं, लेकिन प्रतिवादी को दंडित करने और उसे और अन्य लोगों को भविष्य में इसी तरह के व्यवहार से रोकने के लिए दिए जाते हैं।इंग्लैंड में कानून (जैसा कि रूक्स बनाम बर्नार्ड में कैसेल बनाम ब्रूम में पुष्टि की गई है) यह है कि इस तरह के नुकसान की आम तौर पर अनुमति नहीं है।इंग्लैंड में उन्हें केवल तीन वर्गों के मामलों में सम्मानित किया जा सकता है (i) जहां सरकार के सेवकों द्वारा दमनकारी, मनमाना या असंवैधानिक कार्रवाई की जाती है; (ii) जहां प्रतिवादी के आचरण की गणना उसके द्वारा अपने लिए लाभ कमाने के लिए की गई है जो दावेदार को देय मुआवजे से अधिक हो सकता है; और (iii) जहां इस तरह के नुकसान कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

बी.

सी.

(3.3) हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सबसे हाल के फैसले, कुड्डस बनाम लीसेस्टरशायर कांस्टेबुलरी के मुख्य कांस्टेबल के फैसले में, लॉ लॉर्ड्स ने यह नहीं कहा कि भविष्य में अनुकरणीय हर्जाने का पुरस्कार केवल रूक्स बनाम बर्नार्ड (जैसा कि कैसेल बनाम ब्रूम में पुष्टि की गई है) में उल्लिखित मामलों में ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।लार्ड निकोल्स ने पृष्ठ 211 पर अपने भाषण में कहा कि:“68. .....अनुकरणीय हर्जाना देने के लिए न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता का गठन

करने वाले आचरण का सार ऐसा आचरण है जो दावेदार के अधिकारों की अपमानजनक अवहेलना थी।

डी.

ई.

(3.4) " इस समिति के विचार में**,** यह सिद्धांत कि भारत में न्यायालय केवल अंग्रेजी न्यायालयों के कहने या करने तक ही सीमित नहीं हैं**,** वर्तमान स्थिति की ओर आकर्षित होता है।इस समिति का विचार है कि इस माननीय न्यायालय को सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान/विनाश के लिए बर्बरता और दंगों के कारण दायित्व का एक सिद्धांत विकसित करना चाहिए-दंडात्मक प्रकृति का। नुकसान भी ऐसा होना चाहिए जो भविष्य में लोगों को इसी तरह के व्यवहार से रोक सकेःआखिरकार यह पहले से ही कानून की नीति है जैसा कि संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम**, 1984** में कहा गया है**,** और वर्तमान संदर्भ देते हुए इस माननीय न्यायालय के दिनांक **18-06-2007** के आदेश में पूर्ववत है।

एफ.

जी.

(3.5) टॉर्ट 17 वें संस्करण पर एक विनफील्ड और जोलोविज़ में (पृष्ठ 948 पर -49) लेखकों ने अनुकरणीय नुकसान के भविष्य को निर्धारित किया

एच.

कुद्दुस बनाम लीसेस्टरशायर कांस्टेबुलरी के मुख्य कांस्टेबल के निर्णय से उद्धृत करते हुए जहां दो लॉ लॉर्ड्स लॉर्ड निकोल्स और लॉर्ड हटन ने यह विचार व्यक्त किया कि इस तरह के नुकसान की अपमानजनक व्यवहार से निपटने में एक मूल्यवान भूमिका हो सकती है।लेखक बताते हैं कि नागरिक और आपराधिक कानून के बीच की सीमाएं कठोर या अपरिवर्तनीय नहीं हैं और अकेले आपराधिक प्रक्रिया जानबूझकर गलत काम करने से रोकने के लिए एक पर्याप्त तंत्र नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि सजा के साथ मुआवजे के सिद्धांत की स्वीकार्यता की पुष्टि प्रिवी काउंसिल (ग्लेनर कंपनी लिमिटेड में) द्वारा की गई है। बनाम अब्राहम ए. सी. 54) जहां यह सम्मानपूर्वक कहा गया था किः(एसी P.647, पैरा 54)

बी.

सी.

“54. …हो सकता है कि तेल और सिरका घोल में न मिलें, लेकिन वे एक स्वीकार्य सलाद ड्रेसिंग बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।”

(3.6) लेखकों का कहना है कि अनुकरणीय नुकसान निश्चित रूप से अन्य सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निरंतर जीवन शक्ति का आनंद लेते हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में उन पर लगाए गए विभिन्न बंधनों को खारिज कर दिया है और उन्हें अन्य स्थितियों तक बढ़ा दिया हैःइस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में लापरवाही के "अपमानजनक" कृत्यों के मामलों में दंडात्मक हर्जाना उपलब्ध माना गया।ऑस्ट्रेलिया के विधि आयोग ने भी निष्कर्ष निकाला है-काफी समान रूप से संतुलित परामर्श के बाद-कि अनुकरणीय नुकसान को बरकरार रखा जाना चाहिए जहां प्रतिवादी ने "जानबूझकर और अपमानजनक रूप से वादी के अधिकारों की अवहेलना की थी।”

डी.

ई.

15. कानून के अभाव में नुकसान का आकलन करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अपनाया जाना चाहिएः

(I) जहां कहीं भी विरोध या उसके कारण संपत्ति का सामूहिक विनाश होता है**,** उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान कार्रवाई जारी कर सकता है और नुकसान की जांच करने और उससे संबंधित मुआवजे के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।**(II)** जहाँ एक से अधिक राज्य शामिल हैं**,** वहाँ ऐसी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

एफ.

जी.

(III) प्रत्येक मामले में**,** उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय**,** जैसा भी मामला हो**,** नुकसान का अनुमान लगाने और दायित्व की जांच करने के लिए एक वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या एक वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है।

एच.

715

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

(IV) दावा आयुक्त की सहायता के लिए एक निर्धारक नियुक्त किया जा सकता है।

(V) दावा आयुक्त और निर्धारक, जो भी मामला हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से मौजूदा वीडियो या निजी और सार्वजनिक स्रोतों से अन्य रिकॉर्डिंग को बुलाने के लिए निर्देश मांग सकते हैं ताकि नुकसान का पता लगाया जा सके और नुकसान के अपराधियों के साथ संबंध स्थापित किया जा सके।

बी.

(VI) पूर्ण दायित्व के सिद्धांत उस घटना के साथ संबंध स्थापित होने के बाद लागू होंगे जिससे नुकसान हुआ था।

सी.

(VII) दायित्व अपराध के वास्तविक अपराधियों के साथ-साथ घटना के आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा जो दायित्व को जन्म देते हैं-जिसे साझा किया जाना है, जैसा कि अंततः उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

डी.

(VIII) अनुकरणीय हर्जाना उस हद तक दिया जा सकता है जो भुगतान की जाने वाली हर्जाने की राशि के दोगुने से अधिक न हो।

(IX) नुकसान का आकलन निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः**(क)** सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान; **(ख)** निजी संपत्ति को नुकसान;

ई.

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनने वाली क्षति; **(घ)** निवारक और अन्य कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की लागत।

एफ.

(X) दावा आयुक्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट देगा जो पक्षों को सुनने के बाद दायित्व का निर्धारण करेगा।

16. न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस समिति और श्री एफ. एस. नरीमन समिति की सिफारिशें, जिनके ऊपर इस न्यायालय की मंजूरी है, तुरंत लागू हो जाएंगी।वे दिशानिर्देशों के रूप में प्रभावी होंगे।

जी.

XXX

एच.

28. वर्तमान मामला वह है जिसमें दिशानिर्देश आवश्यक हैंः((i) पुलिस को वैधानिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, और

((ii) दंगों के मामलों में नुकसान के संबंध में एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना।

इस मुद्दे की नरीमन समिति द्वारा जांच की गई थी जिसने विचार किया थाः

बी.

"… जहाँ (ऐसे मामलों में) संपत्ति का विनाश/क्षति होती है और व्यक्तियों को जान-माल की हानि या चोटें होती हैं -

((i) ऐसे नुकसानों के वास्तविक उपाय,

((ख) ऐसी क्षति अधिरोपित करने के तौर-तरीके, और "(रिपोर्ट का पृष्ठ 2)।

सी.

29. जब ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त कानून बनाए जाते हैं और/या कानून (ओं) द्वारा कोई त्वरित प्रक्रिया तंत्र बनाया जाता है तो ये दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।"

डी.

(जोर दिया गया) न्यायालय द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को नोट करने के बाद, पैराग्राफ 16,28 और 29 में न्यायालय ने घोषणा की कि उल्लिखित सिफारिशों को न्यायालय की मंजूरी प्राप्त है और वे तुरंत लागू हो जाएंगी।

ई.

4. इस निर्णय से संकेत लेते हुए, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त पैराग्राफ 2 में पुनः प्रस्तुत राहत के लिए प्रार्थना की है।रिट याचिका में राहत को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने ऐसी घटनाओं की घटना को सुधारने और रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार हैंः

एफ.

" A. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में

1. फिल्म, नाटक, साहित्य, संगीत या इसी तरह की रचनात्मक कला के खिलाफ कोई भी विरोध, जिसके कारण बल प्रयोग, धमकी या परोक्ष धमकी आदि के माध्यम से उस पर अवैध प्रतिबंध लगा दिया जाता है, की अनुमति नहीं है।कोई भी व्यक्ति या समूह जो किसी भी प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति से व्यथित है, केवल कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कानूनी उपचार की तलाश करेगा।

जी.

2. राज्य या राज्य के अधीन प्राधिकरणों को कानून और व्यवस्था की समस्या के आधार पर किसी भी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं है।

एच.

717

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

बी.निवारक कार्रवाई के तौर-तरीकों के बारे में

3. किसी भी सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च आदि का आयोजक पुलिस को सूचित करेगा और ई-मेल या पत्र के माध्यम से जाने वाले मार्ग की सूचना देगा।

4. प्रभारी पुलिस अधिकारी, जहाँ तक संभव हो, अनुरोध की अनुमति देगा और लिए जाने वाले मार्ग की समीक्षा और संशोधन कर सकता है और शांतिपूर्ण मार्च या विरोध के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है।मार्च में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के पास चाकू, लाठी, बंदूक या कोई अन्य हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

बी.

5. पुलिस इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेगी और इस प्रकार रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तारीख और समय के साथ पुलिस मुख्यालय में प्रति के तहत केंद्रीय सर्वर को प्रेषित किया जाएगा।

सी.

6. प्रदर्शनों के हिंसक होने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी भी मीडिया और अन्य लोगों से संबंधित घटनाओं पर ऐसी और जानकारी एकत्र करेगा, और मीडिया और जनता ऐसी जानकारी साझा करके पुलिस का समर्थन करेगी।

डी.

7. पुलिस तुरंत राज्य सरकार को घटनाओं की रिपोर्ट के साथ सूचित करेगी, जिसमें नुकसान, यदि कोई हो, भी शामिल है।

C.Regarding मामलों की रिपोर्टिंग और पुलिस कार्रवाई

8. पुलिस अपनी वेबसाइट/ऐप पर एक ऑनलाइन 'साइबर-सूचना स्वागत विंडो' बनाए रखेगी जो लोगों को भीड़ की हिंसा, विनाशकारी कृत्यों और किसी भी रूप में घृणित भाषण के उदाहरण भेजने में सक्षम बनाएगी, जिसमें नकली वीडियो और फेस न्यूज शामिल हैं।पुलिस हिंसक विरोध प्रदर्शनों

की तस्वीरें लेने के लिए भी अपनी व्यवस्था करेगी और ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

ई.

एफ.

9. यदि ऐसी किसी घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस बिना किसी देरी के इस तरह से पहचाने गए व्यक्तियों के नामों के साथ प्राथमिकी दर्ज करेगी और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी जो हिंसक विरोध या घृणित भाषण में शामिल हैं, और कानून की प्रक्रिया का पालन करेगी।

जी.

10. राज्य पुलिस द्वारा एफ. आई. आर. के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रावधान किया जाएगा और इस सुविधा के बारे में जानकारी का व्यापक रूप से प्रसार किया जाएगा ताकि आम आदमी को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की बाधाओं का सामना किए बिना अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।सुविधा के रचनात्मक उपयोग के लिए, पहचान प्रमाण

एच.

और उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओ. टी. पी. के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य किया जा सकता है।

11. पुलिस तीन दिनों की अवधि के भीतर ऑडियो और वीडियो सामग्री की वास्तविकता की तुरंत जांच करेगी और यदि सामग्री प्रथम दृष्टया सही पाई जाती है, तो आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा (यदि पहले से ही जमानत पर रिहा किया गया है) जो उसके बाद केवल जमानत का हकदार होगा, जो पुलिस द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कृत्यों से हुए नुकसान/क्षति के अनुरूप राशि जमा करने की स्थिति में होगा।

बी.

12. राज्य सोशल मीडिया सामग्री और ऑडियो/वीडियो सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाएगा जो ऐसे मामलों में समस्या हो सकती है।13. यदि किसी राजनीतिक दल सहित कोई व्यक्ति या संगठन निजी संपत्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी हिंसक विरोध का आह्वान करता है, या किसी भी विरोध का आह्वान करता है जिसके परिणामस्वरूप बाद में निजी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, तो ऐसे विरोध का स्पष्ट रूप से आह्वान करने वाले नेताओं या व्यक्तियों के नाम दर्शाते हुए प्राथमिकी

दर्ज की जाएगी।ऐसे मामलों में जहां इस तरह का कॉल आधिकारिक प्रवक्ता के माध्यम से या व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट/पेज के माध्यम से किया गया था, ऐसे राजनीतिक दल या संगठन के मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किए जाएंगे।

सी.

डी.

ई.

14. कोई भी व्यक्ति जो भाषण, बयान या अन्यथा अपील करता है या माँग करता है

(क) हिंसक विरोध प्रदर्शन या

एफ.

((ख) संपत्ति का विनाश या

(ग) नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए बल का उपयोग या

((घ) घृणा के लिए उकसाना

जी.

आई. पी. सी. की धारा 298 सहपठित S.153A, 295 ए सहित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

15. उपर्युक्त मामलों में जांच की प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर/मुख्य ए को दी जाएगी।

एच.

719

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

न्यायिक मजिस्ट्रेट और साप्ताहिक आधार पर पुलिस महानिदेशक की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

16. यदि ऐसे किसी मामले में किसी को बरी किया जाता है, तो राज्य बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करेगा।

17. बरी या दोषसिद्धि का निर्णय पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जहां जांच की प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाती है।

बी.

D.Regarding संगठनों**,** समूहों आदि का दायित्व।

18. यदि किसी समूह या किसी संगठन के सदस्यों द्वारा संपत्ति के विनाश के परिणामस्वरूप कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, तो ऐसे समूह या संगठन के पदाधिकारी घटना के 24 घंटे के भीतर उस पुलिस स्टेशन/थानों को सूचित करेंगे, जिनके अधिकार क्षेत्र में विघटनकारी गतिविधियाँ हुईं।

सी.

19. पदाधिकारी पुलिस को ऐसे विरोध के बारे में सभी जानकारी देंगे, जिसमें विरोध का आह्वान और ऐसे संगठन के स्थानीय नेताओं का विवरण शामिल है।

डी.

20. वे ऐसे विरोध में शामिल ऐसे लोगों के कार्य को अस्वीकार करते हुए एक बयान दे सकते हैं और यदि ऐसा बयान दिया जाता है, तो ऐसे सदस्य जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित कर दिया जाएगा।

ई.

21. यदि अस्वीकृति का कोई बयान नहीं दिया जाता है या सदस्यों को निष्कासित नहीं किया जाता है, तो ऐसे संगठन के पदाधिकारी और नेता भी आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

22. घृणापूर्ण भाषण या हिंसा का कोई महिमामंडन या संरक्षण या किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों या किसी भी रूप के कार्यों के माध्यम से आरोपित किया जाना भी न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा।

एफ.

E.Regarding पुलिस की जवाबदेही

23. यदि पुलिस उपरोक्त किसी भी मामले में 90 दिनों की अवधि के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने या जांच करने और आरोप पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो पुलिस महानिदेशक व्यक्तिगत रूप से न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे।

जी.

24. उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी जो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के दौरान निष्क्रिय दिखाई देते हैं और ऐसा करते हैं

एच.

घटना की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई न करें।

25. पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करने में किसी भी देरी को डी. जी. पी. द्वारा कारणों के साथ समझाया जाना चाहिए और इस आशय का आवश्यक संचार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट सहित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से किया जाना चाहिए।

बी.

च. दावा न्यायाधिकरण और मुआवजे के अधिनिर्णय के संबंध में

26. भीड़ हिंसा/प्रदर्शनकारियों या ब्याज में उनके प्रतिनिधियों द्वारा नष्ट की गई निजी संपत्ति के मालिक अपनी चल और अचल संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार होंगे।निजी संपत्ति के विनाश के लिए मुआवजे और पुनर्स्थापना लागत के लिए दावे एक दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए जाएंगे, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा नुकसान की जांच करने और उससे संबंधित मुआवजे के लिए किया जाएगा।दावा न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक वर्तमान या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (अध्यक्ष) और ऐसे अन्य सदस्य (मूल्यांकनकर्ता) शामिल होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। न्यायाधिकरण एक समयबद्ध संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेगा जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ताकि दावे होने के 6 महीने के भीतर वितरित किए जा सकें।

सी.

डी.

ई.

27. राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक निजी और सार्वजनिक स्रोतों से वीडियो या अन्य रिकॉर्डिंग दावा न्यायाधिकरण को सौंपेंगे जो दावा न्यायाधिकरण को नुकसान का पता लगाने और नुकसान के अपराधियों के साथ सांठगांठ स्थापित करने में सक्षम बनाएगा।

एफ.

28. पूर्ण दायित्व के सिद्धांत उस घटना के साथ संबंध स्थापित होने के बाद लागू होंगे जिससे नुकसान हुआ था।29. नुकसान का आकलन निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

(क) सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान; (ख) निजी संपत्ति को नुकसान;

जी.

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनने वाली क्षति; (घ) निवारक और अन्य कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की लागत।

30. अनुकरणीय हर्जाना उस सीमा तक दिया जा सकता है जो भुगतान की जाने वाली हर्जाना राशि के दोगुने से अधिक न हो।

एच.

721

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

31. न्यायाधिकरण अपने निर्णय में मुआवजे की राशि, संपत्ति की बहाली की लागत और अनुकरणीय नुकसान के लिए राशि को अलग से निर्दिष्ट करेगा।

32. क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाएगाः

बी.

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में विनाश का कार्य किया (ii) वे व्यक्ति जिन्होंने इस तरह के विनाश के लिए अपील की थी।

((ग) उन संगठनों के पदाधिकारी जिनमें ऐसे व्यक्ति सदस्य हैं, यदि संगठन त्याग का बयान नहीं देते हैं और ऐसे सदस्यों को निष्कासित नहीं करते हैं।

सी.

33. न्यायाधिकरण द्वारा उत्तरदायी घोषित व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यायाधिकरण के खर्चों को पूरा करने के लिए लागत के रूप में दी गई राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करने का भी आदेश दिया जाएगा।

34. यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह 12 महीने की अवधि के भीतर इस तरह से नष्ट की गई सभी संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करे।न्यायाधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किए गए व्यक्तियों से लागत का भुगतान किया जाएगा।

डी.

जी. जुलूस, मार्च और विरोध के अहिंसक लोकतांत्रिक रूप का संरक्षण

ई.

35. हिंसा के बिना, सरकारी नीति/कार्रवाई के खिलाफ या सामाजिक कारणों के लिए सभी लोकतांत्रिक विरोधों का विधिवत सम्मान किया जाएगा और कोई दायित्व नहीं होगा।

36. सरकार या उसके नेताओं के खिलाफ नारे लगाना घृणापूर्ण भाषण या अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा।प्रदर्शनकारियों को अपने विरोध का निशान दिखाने के लिए पोस्टर, बैनर, पुतले आदि ले जाने का अधिकार होगा।"

एफ.

5. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. दिनेश और भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 भारत संघ और प्रत्यर्थी राज्यों की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी को भी सुना है।6. श्री वेणुगोपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शन, जिससे जानमाल का नुकसान होता है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं।वह प्रस्तुत करता है कि अनुसरण में

जी.

इन रे में निर्णय के लिए:सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश

एच.

(ऊपर), भारत संघ ने प्रत्यर्थी राज्यों को इसका पालन करने की सलाह दी है

6 मई, 2013 के पत्र के माध्यम से उसमें निर्धारित दिशानिर्देश 2 इसके अलावा, पी. डी. पी. पी. में कुछ संशोधन लाने के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है।

2 " अनुलग्नक-2

No.11034/01/2013-IS-IV

भारत सरकार का गृह मंत्रालय आईएस-1 डिवीजन नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 6 मई, 2013 को मुख्य सचिवों को

सभी राज्य सरकारें।/केंद्र शासित प्रदेश

विषय:आंदोलनों, बंदों, हड़तालों आदि के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करना और नुकसान पहुंचाना।- इस तरह की विनाशकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश-संबंधित।

बी.

महोदय/महोदया भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उदाहरणों पर गंभीरता से ध्यान दिया है जहां आंदोलनों, बंद हड़तालों के नाम पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया था। (सीआरएल।) No.77/2007 सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश के मामले में बनाम। ए. पी.

और अन्य राज्यों ने निर्देश दिया कि निवारक कार्रवाई के तौर-तरीकों को प्रभावी बनाने और पूछताछ/जांच को मजबूत करने के लिए जैसे ही कोई प्रदर्शन आयोजित किया जाए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:-

(i) यदि किसी पुलिस स्टेशन या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रभारी अधिकारी की राय है कि किसी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई, या तो घोषित या अघोषित, में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, तो वह वीडियो ऑपरेटरों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनल बनाए रखने का अधिकार होगा, जिन्हें कम समय में उपलब्ध कराया जा सकता है।

सी.

((ii) पुलिस अधिकारी जिसके पास इस सूचना पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है कि एक सीधी कार्रवाई आसन्न है और यदि उसके पास यह आशंका करने का कारण है कि इस तरह की सीधी कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, तो वह तुरंत वीडियो-ग्राफर की सेवाओं का लाभ उठाएगा ताकि वह उसके साथ या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी के साथ उस स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जा सके जहां से वीडियो शूटिंग की व्यवस्था की जा सकती है और हिंसा के किसी भी कृत्य या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कृत्यों में लिप्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

डी.

(iii) प्रत्यक्ष कार्रवाई कम होने के तुरंत बाद, संबंधित पुलिस अधिकारी उप-मंडल या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो ग्राफर पेश करके वीडियो को प्रमाणित करेगा, जो वीडियो ग्राफ़ तैयार करने के लिए उसने जो किया, उसके बारे में अपना बयान दर्ज करेगा।मूल टेप या। सी. डी. या अन्य सामग्री जो अभिलिखित साक्ष्य को प्रदर्शित करने में सक्षम है, उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला है कि वह ऐसी सीडी/सामग्री को पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंप सके जिसे उचित स्तर पर या जब और जब बुलाया जाए तो न्यायालय में पेश किया जाए।

(iv) आयोजक जिस मार्ग पर जाना है उसकी समीक्षा और संशोधन करने और शांतिपूर्ण मार्च या विरोध के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए पुलिस से मुलाकात करेगा।

ई.

(v) चाकू, लाठी और इसी तरह के सभी हथियारों को प्रतिबंधित किया जाएगा।

(vi) आयोजकों द्वारा प्रत्येक संबंधित जंक्शन पर मार्शलों के साथ शांतिपूर्ण मार्च सुनिश्चित करने के लिए एक वचन दिया जाना है।

(vii) पुलिस और राज्य सरकार अधिकतम संभव सीमा तक ऐसे विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगी।

(viii) प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रभारी व्यक्ति एसपी (यदि स्थिति जिले तक ही सीमित है) और राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा, जहां स्थिति एक जिले से परे फैली हुई है।

(ix) प्रदर्शन हिंसक होने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि घटनाओं की वीडियोग्राफी निजी संचालकों के माध्यम से की जाए और मीडिया और अन्य लोगों से विचाराधीन घटनाओं पर ऐसी आगे की जानकारी का अनुरोध भी करेगा।

एफ.

(x) पुलिस तुरंत राज्य सरकार को घटनाओं की रिपोर्ट के साथ सूचित करेगी, जिसमें नुकसान भी शामिल है, यदि कोई हुआ हो।

(xi) राज्य सरकार पुलिस रिपोर्ट और अन्य जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो उसके पास उपलब्ध हो सकती है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सहित एक याचिका दायर करेगी, जैसा कि मामला हो सकता है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे।

2. यद्यपि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के तहत राज्य के विषय हैं, केंद्र सरकार अपराध की रोकथाम को सबसे अधिक महत्व देती है।इसलिए समय-समय पर राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपराध की रोकथाम और नियंत्रण पर बल देते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती रही है।

जी.

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्य आंदोलनों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अपराधों की प्रभावी रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

प्रतिलिपि बनाएँ:

आपकी वफादारी।

द प्री। सभी राज्य सरकारों के सचिव/सचिव (गृह)।/यू. टी. (राकेश सिंह) भारत सरकार के संयुक्त सचिव

एच.

सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक Govt./UTs "

टेली No.23092736 A

723

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करें, जिन पर वर्तमान में हितधारकों के साथ चर्चा चल रही है। भारत संघ ने 26 मार्च, 2018 के पत्र 3 के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामलों से निपटने के लिए अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से एक या अधिक जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया है।उपरोक्त चर्चाओं के परिणाम को लंबित रखते हुए, और एक अंतरिम उपाय के रूप में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने भीड़ हिंसा के ऐसे कृत्यों के संबंध में कानून-प्रवर्तन निकायों के लिए जवाबदेही और समय सीमा बढ़ाने के लिए कुछ लिखित सुझाव भी दिए हैं।हम जल्द ही पी. डी. पी. पी. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों और लिखित सुझावों का विज्ञापन करेंगे।

बी.

सी.

7. वर्तमान याचिका निजी संस्थाओं द्वारा विरोध और प्रदर्शनों में वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें अन्य के अलावा, फिल्मों और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी और लोगों के वर्गों को लक्षित किया जाता है, विशेष रूप से नैतिक आधार पर, धमकियों और वास्तविक हिंसा का उपयोग किया जाता है।स्पष्ट रूप से अवैध और गैरकानूनी होने के अलावा, हिंसा के ऐसे कृत्य एक गहरी अस्वस्थता को उजागर करते हैं, जो दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता है, जिसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक दृष्टिकोण, कलात्मक अखंडता और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जाता है।वास्तव में, जो लोग इस तरह के कार्यों को करते हैं,

डी.

3 “संलग्नक-3

ई.

No.24013/12/C.C./2013-CSR.III/3997-4105 गृह मंत्रालय (सी. एस. प्रभाग)

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2018।को,

सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के मुख्य सचिव।

विषयः- कोशी जैकब बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर 2013 की लिखित याचिका (सिविल) No.55 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

साहब,

एफ.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामलों से निपटने के मुद्दे पर उपरोक्त रिट याचिका में अपने निर्णय दिनांक आई. डी. 1 में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए या तो पूर्णकालिक आधार पर या अंशकालिक आधार पर की जा सकती है, जैसा कि स्थिति की आवश्यकता हो।ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों की संवर्ग संख्या में उपयुक्त अस्थायी या स्थायी वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

2. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों का पालन करें।

जी.

आपकी वफादारी से,

(कृष्ण कुमार)

उप सचिव (सी. एस.-I)

दूरभाषः23075291

अंत-जैसा कि ऊपर बताया गया है।

प्रतिलिपि बनाएँ; -

1. सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के गृह सचिव 2.सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के डी. जी. पी.।"

एच.

विशेष रूप से निजी पक्षों के खिलाफ, परिणाम और प्रतिशोध के डर के बिना ऐसा करें, शायद यह मानते हुए कि निजी पक्षों के पास उन्हें इस तरह के कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का साधन नहीं है।ऐसी स्थितियों में, राज्य को कदम उठाना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों को होने से रोकने के लिए उपाय करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां दोषी पक्षों को कानून के दायरे में लाने और किसी भी चूक के लिए समयबद्ध और पर्याप्त सजा देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें।इस न्यायालय ने समय-समय पर कानून की सर्वोच्चता को रेखांकित किया है और यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून का प्रशासन केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है।किसी को भी कानून का स्व-नियुक्त संरक्षक बनने और दूसरों पर जबरन कानून की अपनी व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से हिंसक तरीकों से नहीं।भीड़ की हिंसा हमारे स्थापित कानूनी सिद्धांतों के मूल के खिलाफ है क्योंकि यह अराजकता और अराजकता का संकेत देती है और ऐसे समूहों के अवैध

और निंदनीय कृत्यों से अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।हाल ही में, हमने लगभग इसी तरह की शिकायतों से निपटा है

बी.

सी.

तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य। **4.**

डी.

8. हमें पहले इन रे में प्रदर्शनी का विज्ञापन करना चाहिएःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर), और इस बारे में विवेचना करें कि क्या उसमें उल्लिखित दिशानिर्देश विचाराधीन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया है।हमें यह भी जांचना होगा कि क्या इस न्यायालय को कोई अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश देना चाहिए।

ई.

9. इस बात पर व्यापक सहमति है कि सिफारिशें की गईं

और पुनः में दिए गए निर्देशःसार्वजनिक और निजी का विनाश

निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के बड़े पैमाने पर विनाश के मुद्दे से निपटने के लिए उपरोक्त पैराग्राफ 3 में संपत्तियां (उपरोक्त) व्यापक हैं जो हिंसक विरोध और प्रदर्शनों के दौरान शांत हो जाती हैं।हम पाते हैं कि उक्त निर्णय में उल्लिखित समिति की सिफारिशें मुद्दे की लंबाई और चौड़ाई को पार करती हैं और यदि उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो व्यक्तियों और संपत्ति के खिलाफ हिंसा के अभिशाप को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।जहाँ तक उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन का संबंध है, और जैसा कि पहले कहा गया है, विद्वान महान्यायवादी का निवेदन है कि संघ इस बात का ध्यान रखता है कि

एफ.

जी.

इन रे में उक्तिःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर),

और राज्यों को इसके अक्षर और भावना में इसका पालन करने की सलाह दी है

4 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 754 में दिनांक 17 जुलाई, 2018 का निर्णय; आकाशवाणी 2018 एससी 3354
ए

एच.

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

और इस न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप विधायी परिवर्तन शुरू करने के लिए एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया, जिसका नाम है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसकी वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है। विधेयक इस प्रकार हैः

"संलग्नक**-1**

बी.

सार्वजनिक प्रोप आरटीवाई (एक संशोधन) विधेयक, 2015 को नुकसान पहुँचाने से पहले का प्रावधान		
	बी. आई. एल. एल.	
	सार्वजनिक संपत्ति क्षतिनिवारण अधिनियम, 1984 में संशोधन करना।	
	भार	

	त गणर ाज्य के छिय ा सठ वें वर्ष में संस द द्वारा निम् नलि खि त रूप में कार्य किय ा जाए ः -	
श्री एक शुरु आ त का शीर्ष क देते हैं।	1. (1) इस अ धि नियम को सार्व जनि क संप त्ति की रोक थाम (एक संश ोधन) अ धि नियम, 20 15 कहा	

	जा सक ता है।	
	(2) यह केंद्री य सर कार द्वारा आ धि का रिक राज पत्र में अ धिसू चना द्वारा नियु क्त ति थि से लागू होगा ।	
19 84 के अ धि निय म 3 का संश ोधन।	2. सार्व जनि क संप त्ति के नुक सान की रोक थाम अ धि निय म, 19 84 (इस के बाद इसे प्रमु	3 19 84 का

	ख अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में, अर्थदंड के बाद और जुर्माने के साथ, जहां भी वे होते हैं, शब्द "जो क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर होगा" अंतः स्थापित किए जाएंगे।	

धारा 2 का संशोधन।	3. सिद्धांत अधिनियम में, धारा 2 में, खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:-	
	((क) "प्रिस्क्रर आई. बी. ई. डी". का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बना	

	ए गए नियमों द्वारा निर्धारित; "	
धारा 3 का संशोधन।	4. मूल ए.सी.टी. की धारा 3 में, उप-धारा (2) में, परंतुक में, "आरईसनों के लिए " परंतुक के स्थान पर "विशेष आरईसनों के लिए " परंतुक रखे जाएंगे।	

एन. ई. डब्ल्यू. धारा 4ए, 4बी, 4सी और 40 का सम्मिलन [एस. आई. सी]	5. प्रधान एसी. टी. की धारा 4 के बाद निम्नलिखित धाराओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-	
फिर से प्रथम अभियुक्त का अनुमान।	“4उ. यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है और यह दिखाया गया है कि इस तरह के	

	अपराध के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में सार्वजनिक अधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है और आरोपी ने इस तरह के अपराध में भागलिया है, तो यह मानाजाएगा कि इस के विपरीत दिखाया गया है	

	कि आरोपी ने ऐसा अपराध किया था।	

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रोत्साहन	4 बी. जहां किसी संगठन द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन, हड़ताल या बंद के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, ऐसे संगठन के पदाधिकारी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उकसाने के अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे और डी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंड दिया जाएगा।	

	बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी ऐसे पदाधिकारी को इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकता है, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध ज्ञान के बिना किया गया था या जिसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।	
शरारत के लिए उकसाने के लिए सजा	4 ग. जो कोई भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध को बढ़ावा देता है, उसे इस अधिनियम के तहत उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के साथ दंडित किया जाएगा।	
प्रदर्शन के दृश्यों की वीडियोग्राफी की प्रक्रिया।	4 डी. जहां किसी संगठन द्वारा राक्षसी प्रदर्शन, हड़ताल या बंद का आह्वान किया गया है, किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है या इस तरह के नुकसान का आसन्न खतरा है, तो वह (i) उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जहां प्रदर्शन, हड़ताल या बंद का प्रस्ताव	

	है; (ii) वीडियोग्राफी की सॉफ्ट प्रतियां, इस तरह से, संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जमा करें, जो उक्त पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते हैं; (iii) संबंधित उप-पुलिस आयुक्त के समक्ष दर्ज किए गए वीडियोग्राफ का बयान प्राप्त करें। ”.	
धारा 5 का संशोधन।	1. मूल अधिनियम की धारा 5 में -	
	(i) शब्द और आकृति "या धारा 4" के बाद, शब्द "ए डी फिगर" या धारा 4 बी "जोड़े जाएंगे;	
	(ii) "सु च रिलीज के लिए" शब्दों के बाद, यह विश्वास करने के लिए कि एच ई उक्त अपराध का दोषी नहीं है, "शब्द" ए डी टी एच ई आर ई "उचित शब्द हैं।	

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

727

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

एन. ई. डब्ल्यू. धारा 6 ए और डी 6 बी का सम्मिलन	4B. W यहाँ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान 1 का प्रोत्साहन है। मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद निम्नलिखित धाराओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -	
नियम बनाने की शक्ति	“6 ए (1) केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।	
	(2) विशेष रूप से, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के लिए पूर्व अनुमति के बिना, ऐसे नियम "निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -	
	(क) धारा 4 डी के तहत वीडियोग्राफ के लिए प्रावधान और (ख) वीडियोग्राफी की सॉफ्ट प्रतियों को	

	जमा करने का तरीका और धारा 4 डी के तहत वीडियोग्राफर के स्टेटमेन को रिकॉर्ड करना।	
इस अधिनियम को संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम।	6 ख. इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाए जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल उन सत्रों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकते हैं, और यदि, सत्र के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले या उपरोक्त क्रमिक तत्व, दोनों सदन नियम में संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तथापि, ताकि ऐसा संशोधन या रद्द करना उस नियम के तहत किसी भी चीज की वैधता के लिए बिना किसी निर्णय के हो। ” ”	

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

कुछ समय के लिए, हम प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों की प्रभावकारिता पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह इन री में दिशानिर्देशों/सिफारिशों में उल्लिखित बिंदुओं को पूरी तरह से संबोधित करेगाःविनाश।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का **(**ऊपर**)**।हम उस मुद्दे को खुला रखते हैं।

यदि और जब अवसर आता है तो उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाए।हम आशा करते हैं कि उक्त विधेयक को सही मायने में अपने तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा।

जी.

खंड 5.

10. इस मुद्दे पर कि क्या अतिरिक्त उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिन्हें अंतरिम उपायों के रूप में लागू विद्वान जा सकता है।

एच.

उक्त अपराध "दंडनीय होगा।

कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के लिए जवाबदेही को तेज करने और समय-सीमा निर्धारित करने के लिए वनाच्छादित विधेयक का परिणाम।वही नीचे दिए गए हैं**:**

“12. जबकि भारत संघ अभी भी संशोधनों पर विचार कर रहा है, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह सुझाव दिया जाता है कि यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है**:**

बी.

ए। यह अपराध पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा 3 के तहत आता है, जिसमें प्रावधान है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्य करके शरारत करता है, उसे कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के तहत शरारत को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-"जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को गलत नुकसान या

क्षति पहुँचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की संभावना रखता है, किसी भी संपत्ति का विनाश करता है, या किसी भी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जो उसके मूल्य या उपयोगिता को नष्ट या कम करता है, या उसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, वह" शरारत "करता है।

सी.

डी.

बी। यह न्यायालय दिल्ली विकास प्राधिकरण के उदाहरण पर विचार कर सकता है, जहां अवैध अतिक्रमणों से निपटने के लिए डी. डी. ए. ने शहर को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है और उन्हें विभिन्न अधिकारियों के अधीन रखा है, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में भवन निर्माण कानून के उल्लंघन के मामले में जिम्मेदार ठहराया जाएगा।इसके परिणामस्वरूप जवाबदेही में सुधार हुआ है और अवैध अतिक्रमण की घटनाओं में कमी आई है।

ई.

ग. मुआवजे का दायित्व आयोजकों पर तय किया जाना चाहिए, भले ही वह स्वयं उस कार्य का अपराधी हो जिससे नुकसान हुआ हो।

एफ.

घ. इसके अलावा, नुकसान करने वाले वास्तविक अपराधी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ई. तदनुसार, राज्य सरकारों को ऐसे विरोध प्रदर्शनों, बैंडों आदि के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस जिले के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर डालने का निर्देश दिया जा सकता है।यदि ऐसा किया जाता है, तो भविष्य के सभी मामलों में, अदालतें वीडियो रिकॉर्डिंग, दर्ज की गई प्राथमिकियों के विवरण, उठाए गए कदमों आदि के संबंध में सीधे एसएसपी से जवाब मांग सकती हैं।

जी.

च. इसके अलावा, न्यायालय प्रत्येक पुलिस स्टेशन को स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनल बनाए रखने का निर्देश दे सकती है जिन्हें ए पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

एच.

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान आदि की घटनाओं का वीडियोग्राफी करने के लिए संक्षिप्त सूचना।

छ. इसके अलावा, राज्य ऐसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा या संपत्ति को हुए नुकसान की घटनाओं से विशेष रूप से निपटने के लिए हेल्प लाइन स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, और एक बल है जो ऐसी हेल्प लाइनों पर की गई शिकायतों से तुरंत निपटता है।"

बी.

11. इस स्तर पर, तहसीन एस. पूनावाला (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भी विचार करना उचित होगा, जहां इस न्यायालय को एक विशिष्ट प्रकार की भीड़ हिंसा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर परिणामी प्रतिबंधों से निपटना था।उस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने पशु व्यापार और संबंधित गतिविधियों के संबंध में लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक रिट के लिए अनुरोध किया था। वृहत स्तर पर, कानून के स्व-कल्पित और स्व-नियुक्त संरक्षकों की आड़ में काम करने वाली भीड़ द्वारा लक्षित हिंसा और मानव शरीर और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराधों से निपटने की व्यवस्था किसी भी अन्य कारण से भीड़ की हिंसा के कारण होने वाले नुकसान के समान होगी।सतर्कता और लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि राज्यों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति या समूह अप्रिय घटनाओं को रोकने और अपराध को रोकने के लिए कानून को अपने हाथों में न लें, जिसमें संपत्ति को नुकसान भी शामिल हो सकता है।इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहाः

सी.

डी.

ई.

"19. भीड़ की सतर्कता और भीड़ की हिंसा को सरकारों द्वारा सख्त कार्रवाई करके और सतर्कता समाज द्वारा रोका जाना चाहिए, जिन्हें कानून को अपने हाथों में लेने के बजाय राज्य तंत्र और पुलिस को ऐसी घटनाओं की सूचना देनी चाहिए।बढ़ती असहिष्णुता और भीड़ हिंसा की घटनाओं के माध्यम से व्यक्त बढ़ते ध्रुवीकरण को देश में सामान्य जीवन शैली या कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो हमारे सामाजिक ढांचे के संरक्षण से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।ऐसी स्थिति में, राज्य का एक पवित्र कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अनियंत्रित तत्वों और सुनियोजित लिंचिंग और सतर्कता के अपराधियों से अत्यंत ईमानदारी और सच्ची प्रतिबद्धता के साथ ऐसी घटनाओं से निपटने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित रखे जो उसके कार्यों और योजनाओं में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

एफ.

जी.

20. असहिष्णुता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के उत्पाद के रूप में घृणापूर्ण अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए; ऐसा न हो कि इसके परिणामस्वरूप

एच.

आतंक।अतिरिक्त न्यायिक तत्वों और गैर-राज्य अभिनेताओं को कानून या कानून लागू करने वाली एजेंसी का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।ए.

बहुलता और विविधता की स्वीकृति के बिना कट्टर दृष्टिकोण के साथ मनगढ़ंत पहचान के परिणामस्वरूप उत्तेजक भावनाएँ और प्रतिक्रियावादी प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन होता है जो खुद को मनुष्यों के अमानवीकरण में बदल देता है।ऐसा वातावरण वह है जिसमें तर्कसंगत बहस, तार्किक चर्चा और कानून का ठोस प्रशासन नहीं होता है जिससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित विभिन्न स्वतंत्रताओं के लिए स्पष्ट खतरा प्रकट होता है।एक व्यक्ति के विचार, कार्य, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, विवेक और व्यक्तिगत विकल्पों की स्वतंत्रता को दूसरे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और यह कार्यों के वस्तुनिष्ठ तर्कसंगतकरण की कमी के कारण है और

बी.

सी.

परिस्थितियाँ।इस संबंध में यह उचित रूप से कहा गया है:- "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार का एक प्रमुख स्तंभ है; जब यह समर्थन छीन लिया जाता है, तो एक स्वतंत्र समाज का संविधान भंग हो जाता है और इसके खंडहरों पर अत्याचार खड़ा हो जाता है।"

डी.

21. विभिन्न रूपों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक विचारों के विकास के लिए बहुत ही बीज है।

आवाजों की बहुलता एक उदार लोकतंत्र के संवैधानिक विचार का जश्न मनाती है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए।यही हमारे राष्ट्र का विचार और सार है जिसे रवींद्रनाथ टैगोर से जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग या धर्म की "संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित" नहीं किया जा सकता है। बहुलवाद और सहिष्णुता आवश्यक गुण हैं और वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण खंडों का गठन करते हैं।यह दृढ़ता से कहा जाना चाहिए कि एक गतिशील समकालीन संवैधानिक लोकतंत्र विचार और दृष्टिकोण में बहुलवाद को समायोजित करने की आवश्यक विशेषता को आत्मसात करता है ताकि सामंजस्य बनाए रखा जा सके।

ई.

एफ.

और एकता।हठधर्मी मानसिकता से उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता उथल-पुथल के बीज बोती है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव डालती है।इसलिए, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए।

जी.

22. एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य में, के.

जगन्नाथ शेट्टी, जे., हालांकि एक अलग संदर्भ में, ए में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

एच.

731

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

हैंडिसाइड बनाम यूनाइटेड किंगडम जिसमें यह इस प्रकार आयोजित किया गया है

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 10 के संदर्भ में:-

“न्यायालय के पर्यवेक्षी कार्य इसे 'लोकतांत्रिक समाज' की विशेषता वाले सिद्धांतों पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए बाध्य करते हैं।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे समाज की आवश्यक नींव में से एक है, जो इसकी प्रगति और प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है।अनुच्छेद 10 (2) के अधीन, यह न केवल उन 'सूचनाओं' या 'विचारों' पर लागू होता है जिन्हें अनुकूल रूप से प्राप्त किया जाता है या जिन्हें अपमानजनक या उदासीनता का विषय माना जाता है, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होता है जो राज्य या आबादी के किसी भी क्षेत्र को आहत, स्तब्ध या परेशान करते हैं।ऐसी बहुलवाद, सहिष्णुता और उदारता की मांगें हैं जिनके बिना कोई 'लोकतांत्रिक समाज' नहीं है।”

बी.

सी.

23. संवैधानिक वैधता के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण में, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोपरि माना जाता है और इसलिए, लोकतांत्रिक सरकारों को स्वतंत्रता के लिए मजबूत पैर जमाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोकतंत्र के उच्च मूल्यों को बनाए रखा जा सके जिससे

एक सहज संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके।अपराध कोई धर्म नहीं जानता और न तो अपराधी और न ही पीड़ित को नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है।नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सकारात्मक दायित्व राज्य का है।राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दे ताकि विचारों और मान्यताओं के स्वतंत्र खेल और परस्पर विरोधाभासी सह-अस्तित्व की अनुमति दी जा सके।

डी.

ई.

एफ.

दृष्टिकोण।स्वतंत्र आवाजों को दबाना सच्चे लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा संकेत नहीं हो सकता है।ऐसे समाजों का निर्माण करना आवश्यक है जो सभी क्षेत्रों में विविधता को अपनाएं और राज्य तंत्र में नागरिकों के विश्वास का पुनर्निर्माण करें।"

(जोर दिया गया) 12.इस प्रकार देखने के बाद, न्यायालय ने मॉब लिंचिंग और सतर्कता की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों की प्रकृति में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

जी.

"40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं:-

एच.

A. निवारक उपाय

(i) राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करेंगी, जो पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं होगा।ऐसे नोडल अधिकारी को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के लिए जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।वे एक विशेष कार्य बल का गठन करेंगे ताकि उन लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट प्राप्त की जा सके जिनके इस तरह के अपराध करने की संभावना है या जो घृणा भाषण, भड़काऊ बयान और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं।

बी.

((ii) राज्य सरकारें तत्काल उन जिलों, उप-मंडलों और/या गाँवों की पहचान करेंगी जहाँ हाल ही में पिछले पाँच वर्षों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने और भीड़ द्वारा हिंसा किए जाने की

घटनाएँ सामने आई हैं।पहचान की प्रक्रिया इस निर्णय की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समय अवधि डेटा संग्रह की आज की तेज दुनिया में कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

सी.

डी.

(iii) संबंधित राज्यों के गृह विभाग के सचिव संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश/सलाह जारी करेंगे कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में भीड़ हिंसा की कोई घटना उनके संज्ञान में आती है तो चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त सतर्क रहें।

ई.

(iv) इस प्रकार नामित नोडल अधिकारी जिले के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ जिले में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ नियमित बैठकें (महीने में कम से कम एक बार) करेगा ताकि जिले में सतर्कता, भीड़ हिंसा या लिंचिंग की प्रवृत्तियों की पहचान की जा सके और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों या ऐसी प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए किसी अन्य माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की घटनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जा सकें।नोडल अधिकारी ऐसी घटनाओं में लक्षित किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ शत्रुतापूर्ण वातावरण को खत्म करने का भी प्रयास करेगा।

एफ.

जी.

(v) संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशक/गृह विभाग के सचिव सभी नोडल अधिकारियों और राज्य पुलिस खुफिया प्रमुखों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें (कम से कम तिमाही में एक बार) करेंगे।नोडल अधिकारी ए

एच.

733

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

राज्य स्तर पर लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर-जिला समन्वय के मुद्दे को डी. जी. पी. के ध्यान में लाएं।

(vi) प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करे, जो उनकी राय में, हिंसा का कारण बनने

या सतर्कता के भेष में या अन्यथा पीट-पीटकर हत्या करने की प्रवृत्ति रखता है।(vii) भारत सरकार के गृह विभाग को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा और लिंचिंग की रोकथाम के उपायों की पहचान करने और सामाजिक न्याय और कानून के शासन के संवैधानिक लक्ष्य को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहल करनी चाहिए और समन्वय में काम करना चाहिए।

बी.

सी.

(viii) पुलिस महानिदेशक अतीत की घटनाओं और महानिदेशक के कार्यालय द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को एक परिपत्र जारी करेगा।इसका एकमात्र अर्थ यह है कि गश्त में गंभीरता होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित किया जाए और वे कानून की सीमाओं के भीतर रहें और इस प्रकार कानून को अपने हाथों में लेने के बारे में सोचने से भी डरें।

डी.

ई.

(ix) केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो और टेलीविजन और राज्यों के गृह विभाग और पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटों सहित अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की लिंचिंग और भीड़ हिंसा कानून के तहत गंभीर परिणाम को आमंत्रित करेगी।

एफ.

(x) यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि वे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर गैर-जिम्मेदाराना और विस्फोटक संदेशों, वीडियो और अन्य सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाने और रोकने के लिए कदम उठाएं, जो किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा और लिंचिंग को उकसाने की प्रवृत्ति रखते हैं।

जी.

(xi) पुलिस आई. पी. सी. की धारा 153 ए और/या कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी जो गैर-जिम्मेदाराना और विस्फोटक संदेशों और वीडियो का प्रसार करते हैं, जिसमें ऐसी सामग्री होती है जिससे भीड़ की हिंसा और किसी भी प्रकार की लिंचिंग को उकसाने की संभावना होती है।

एच.

(xii) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उचित निर्देश/सलाह भी जारी करेगी जो स्थिति की गंभीरता और उठाए जाने वाले उपायों को दर्शाएगी।

B. उपचारात्मक उपाय

बी.

(i) राज्य पुलिस द्वारा किए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि यह स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आता है कि लिंचिंग या भीड़ हिंसा की कोई घटना हुई है, तो क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन आईपीसी और/या कानून के अन्य प्रावधानों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिना किसी अनुचित देरी के तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएगा।

सी.

((ii) यह उस स्टेशन हाउस अधिकारी का कर्तव्य होगा, जिसके पुलिस स्टेशन में ऐसी प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह तुरंत जिले के नोडल अधिकारी को सूचित करे, जो बदले में यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित (ओं) के परिवार के सदस्यों का आगे कोई उत्पीड़न न हो।(iii) ऐसे अपराधों में जांच की व्यक्तिगत रूप से नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा कि जांच प्रभावी ढंग से की जाए और ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज करने या आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया जाए।

डी.

ई.

(iv) राज्य सरकारें इस फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के प्रावधानों के आलोक में एक लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करेंगी। मुआवजे की गणना के लिए उक्त योजना में, राज्य सरकारें शारीरिक चोट, मनोवैज्ञानिक चोट और रोजगार और शिक्षा के अवसरों के नुकसान और कानूनी और चिकित्सा खर्चों के कारण होने वाले खर्चों सहित आय के नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखेंगी।उक्त क्षतिपूर्ति योजना में भीड़ हिंसा/लिंचिंग की घटना के तीस दिनों की अवधि के भीतर पीड़ितों या मृतक के रिश्तेदारों को अंतरिम राहत देने का प्रावधान भी होना चाहिए।

एफ.

जी.

(v) लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई विशेष रूप से प्रत्येक जिले में उस उद्देश्य के लिए निर्धारित नामित अदालत/फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा की जाएगी।ऐसी अदालतें दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगी।अधिमानतः मुकदमे का समापन किया जाएगा ए

एच.

735

कोडंगलूर फिल्म सोसाइटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

संज्ञान लेने की तारीख से छह महीने के भीतर।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह निर्देश लंबित मामलों पर भी लागू होगा।जिला न्यायाधीश उन मामलों को जहां तक संभव हो एक क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपेगा ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।यह देखना राज्य सरकारों और विशेष रूप से नोडल अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि अभियोजन एजेंसी मुकदमे को उचित रूप से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का सख्ती से पालन करे।(vi) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में एक कठोर उदाहरण स्थापित करने के लिए, अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को दोषी ठहराए जाने पर, निचली विचारण न्यायालय को सामान्य रूप से आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम सजा देनी चाहिए।

बी.

सी.

(vii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें, ऐसे गवाह के संबंध में गवाह या लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, सुरक्षा के लिए और गवाह की पहचान और पते को छिपाने के लिए ऐसे उपाय कर सकती हैं, जो वह उचित समझे।

डी.

(viii) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ित (ओं) या मृतक के निकट संबंधियों को किसी भी न्यायालयी कार्यवाही की समय पर सूचना दी जाएगी और वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत, रिहाई, रिहाई और पैरोल जैसे आवेदनों के संबंध में मुकदमे में सुनवाई का हकदार होगा। उन्हें दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित निवेदन दायर करने का भी अधिकार होगा।

ई.

(ix) भीड़ हिंसा और लिंचिंग के मामलों में पीड़ित (ओं) या मृतक के अगले रिश्तेदार को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त होगी यदि वह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता पैनल में नामांकित लोगों में से अपनी पसंद के किसी भी वकील को चुनता है और नियुक्त करता है।

एफ.

ग. दंडात्मक उपाय

(i) जहां भी यह पाया जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी भीड़ हिंसा और लिंचिंग के किसी भी अपराध को रोकने और/या जांच करने और/या त्वरित सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, तो इसे जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार का कार्य माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है।विभागीय कार्रवाई को तार्किक रूप से लिया जाएगा।

जी.

एच.

अधिमानतः पहली बार के प्राधिकारी द्वारा छह महीने के भीतर निष्कर्ष निकालना।

(ii) अरुमुगम सर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य 21 में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, राज्यों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है यदि यह पाया जाता है कि (i) ऐसे अधिकारियों ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद घटना को नहीं रोका, या (ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी है, ऐसे अधिकारियों ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

बी.

41. जिन उपायों को करने का निर्देश दिया जाता है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।अनुपालन की रिपोर्ट उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर की जानी चाहिए।"

सी.

इन सिफारिशों ने व्यापक रूप से उस तरीके को निर्धारित किया है जिसमें राज्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भीड़ हिंसा, विशेष रूप से लिंचिंग और सतर्कता के खतरे से निपटने की उम्मीद की जाती है और आगे, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपने के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने कर्तव्यों से बचने से रोकने के लिए दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं।

डी.

13. कोशी जैकब बनाम में निर्णय पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। भारत संघ और अन्य, 5 जिसमें इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक समान निर्देश

की मांग की गई थी।सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर)।दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में लिए गए रुख और भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार करने के बाद उक्त रिट याचिका का निम्नलिखित शब्दों में निपटारा किया:

ई.

एफ.

"10. जवाबी हलफनामे में दिए गए रुख और विद्वान महान्यायवादी के बयान को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि भारत संघ द्वारा अब प्रस्तावित कानून को सभी संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए उचित समय के भीतर लागू कर दिया जाएगा।विद्वान महान्यायवादी ने बहुत निष्पक्षता से कहा है कि कानून आपराधिक दायित्व, प्रशासनिक विफलताओं के लिए कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ितों के लिए उपचार के लिए त्वरित तंत्र प्रदान कर सकता है।एक सुझाव दिया गया है कि ऐसे मुद्दे से पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से एक या अधिक जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

जी.

5 (2018) 11 एससीसी 756 ए

एच.

737

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

आधार, जैसी स्थिति की आवश्यकता हो सकती है।ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों की संवर्ग संख्या में उपयुक्त अस्थायी या स्थायी वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।प्रस्तावित कानून बनाने के दौरान इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

11. जहाँ तक याची के व्यक्तिगत दावे का संबंध है, आंदोलन के आयोजक इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।याची कानून के अनुसार उचित मंच पर अपना उपचार लेने के लिए स्वतंत्र है।

बी.

तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"14. तहसीन पूनावाला (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा

सी.

शक्ति वाहिनी बनाम में निर्णय। भारत संघ और अन्य, 6 जिसमें

खाप पनाहकायत द्वारा युवा जोड़ों/परिवारों पर किए गए ऑनर किलिंग और अन्य प्रकार के ऑनर क्राइम के मुद्दे को संबोधित करने के लिए न्यायालय को बुलाया गया था।पैराग्राफ 55 में, न्यायालय ने राज्यों को खाप पंचायतों द्वारा ऑनर क्राइम के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए उपाय करने के निर्देश जारी किए।पैराग्राफ 55 इस प्रकार हैः

डी.

"55. श्री गौरव अग्रवाल द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने दिशानिर्देश जारी करने के लिए कुछ सुझाव विद्वान किए हैं।भारत संघ ने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें कानून बनने तक ध्यान में रखा जाना चाहिए।ऑनर क्राइम के दर्दनाक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए, हम सोचते हैं कि निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय होने चाहिए और तदनुसार, हम संबंधित राज्यों की कार्यपालिका और पुलिस प्रशासन को व्यापक रूप और स्वतंत्रता के साथ तौर-तरीकों के बारे में बताते हैं ताकि बताए गए उद्देश्यों के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए और उपाय किए जा सकेंः

ई.

एफ.

55.1.एहतियाती कदम

55.1.1.राज्य सरकारों को तुरंत उन जिलों, उप-मंडलों और/या गांवों की पहचान करनी चाहिए जहां हाल के दिनों में, जैसे कि पिछले पांच वर्षों में, सम्मान के लिए हत्या या खाप पंचायतों की सभा की घटनाएं सामने आई हैं।

जी.

55.1.2.संबंधित राज्यों के गृह विभाग के सचिव संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश/सलाह जारी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी

6 (2018) 7 एससीसी 192

एच.

चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस थानों के प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र में अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में आने पर अतिरिक्त सतर्क रहते हैं।

55.1.3.यदि खाप पंचायत की किसी प्रस्तावित सभा की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के संज्ञान में आती है, तो वह तुरंत अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगा और साथ ही साथ अधिकार क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा।

बी.

55.1.4.ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, पुलिस उपाधीक्षक (या क्षेत्र/जिले के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी) तुरंत खाप पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और उन पर यह प्रभाव डालेंगे कि ऐसी बैठक/सभा आयोजित करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है और ऐसी बैठक के साथ आगे बढ़ने से बचना चाहिए।इसके अतिरिक्त, उन्हें क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सतर्क रहने और यदि आवश्यक हो, तो प्रस्तावित सभा को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के लिए उचित निर्देश जारी करना चाहिए।

सी.

डी.

55.1.5.इस तरह के उपाय करने के बावजूद, यदि बैठक आयोजित की जाती है, तो पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से बैठक के दौरान उपस्थित रहेंगे और सभा को प्रभावित करेंगे कि दंपति या दंपति के परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर आयोजकों के अलावा बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि विधानसभा के सदस्यों की चर्चा और भागीदारी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, जिसके आधार पर कानून लागू करने वाली मशीनरी उपयुक्त कार्रवाई का सहारा ले सके।

ई.

एफ.

55.1.6.यदि पुलिस उपाधीक्षक, खाप पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत के बाद, यह मानने का कारण है कि सभा को रोका नहीं जा सकता है और/या दंपति या उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने की संभावना है, तो वह तुरंत जिला मजिस्ट्रेट/जिला के उप-मंडल मजिस्ट्रेट/संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकरण को सीआरपीसी के तहत निवारक कदम उठाने के आदेश जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें धारा 144 सीआरपीसी ए के तहत निषेधात्मक आदेश लागू करना शामिल है।

जी.

एच.

739

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

और सी. आर. पी. सी. की धारा 151 के तहत विधानसभा में प्रतिभागियों को गिरफ्तार करके भी।

55.1.7.भारत सरकार के गृह विभाग को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और ऐसी हिंसा की रोकथाम के उपायों की पहचान करने और सामाजिक न्याय और कानून के शासन के संवैधानिक लक्ष्य को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए पहल करनी चाहिए और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए।

बी.

55.1.8.सभी हितधारकों के आवश्यक समन्वय के साथ एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए।विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र को इस तरह की हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक पहल और जागरूकता को अनिवार्य करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने पर काम करना चाहिए।"

सी.

55.2.उपचारात्मक उपाय

55.2.1.राज्य पुलिस द्वारा किए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि स्थानीय पुलिस के ध्यान में आता है कि खाप पंचायत हुई है और उसने अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह (या कोई अन्य विवाह जो उनकी स्वीकृति को पूरा नहीं करता है) के जोड़े/परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आदेश पारित किया है, तो क्षेत्राधिकार वाला पुलिस अधिकारी तुरंत दंड संहिता के उचित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराएगा, जिसमें आईपीसी की धारा 141,143,503 के सहपठित धारा 506 शामिल है।

डी.

ई.

55.2.2.एफ. आई. आर. दर्ज होने पर, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक को एक साथ सूचना दी जाएगी, जो बदले में, यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध की प्रभावी जांच की जाए और शीघ्रता के साथ इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाए।55.2.3.इसके अतिरिक्त, दंपति/परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले के भीतर या कहीं और एक सुरक्षित घर में ले जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला

मुख्यालय में एक सुरक्षित घर स्थापित करने पर विचार कर सकती है।इस तरह के सुरक्षित घर इन सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं:

एफ.

जी.

(i) युवा अविवाहित-अविवाहित जोड़े जिनके रिश्ते का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जा रहा है, और

एच.

((ii) युवा विवाहित जोड़े (एक अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक या किसी अन्य विवाह का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जा रहा है)।

ऐसे सुरक्षित घरों को क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में रखा जा सकता है।55.2.4.जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को ऐसे जोड़े/परिवार को दी गई धमकी के संबंध में शिकायत से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए।सबसे पहले यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या स्नातक-स्नातक सक्षम वयस्क हैं।इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें अपनी शादी को संपन्न करने और/या यदि वे चाहें तो पुलिस सुरक्षा के तहत विधिवत पंजीकृत होने के लिए रसद सहायता प्रदान की जा सकती है।विवाह के बाद, यदि दंपति ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें मामले-दर-मामले के आधार पर उनके खतरे के आकलन के आधार पर, शुरू में एक महीने की अवधि के लिए सुरक्षित घर में मामूली शुल्क के भुगतान पर आवास प्रदान किया जा सकता है, जिसे मासिक आधार पर बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

55.2.5.दंपति (अविवाहित या एक युवा विवाहित जोड़े) से प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रारंभिक जांच या एक स्वतंत्र स्रोत से जानकारी प्राप्त करने पर कि ऐसे जोड़े के रिश्ते/विवाह का उनके परिवार के सदस्यों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के एक अधिकारी को सौंपा जाएगा।वह प्रारंभिक जांच करेगा और खतरे की धारणा की प्रामाणिकता, प्रकृति और गंभीरता का पता लगाएगा।इस तरह की धमकियों की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने पर, वह तुरंत एक सप्ताह के भीतर पुलिस

अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।55.2.6.जिला पुलिस अधीक्षक, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित उप-मंडल के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक को दंपति (ओं) को धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देगा और यदि आवश्यक हो, तो धारा 151 सीआरपीसी लागू करेगा। इसके अलावा, पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जांच की प्रगति की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे पूरा किया जाए और शीघ्रता के साथ इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाए।जाँच के दौरान, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बिना किसी अपवाद के मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने सभा में भाग लिया है।अगर ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

741

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

खाप पंचायत के सदस्यों की संलिप्तता सामने आती है, उन पर साजिश या उकसाने के अपराध का भी आरोप लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

55.3.दंडात्मक उपाय

55.3.1.पुलिस या जिला अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में किसी भी तरह की विफलता को जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार का कार्य माना जाएगा, जिसके लिए सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी और पहली बार के प्राधिकरण द्वारा इसके तार्किक अंत तक, अधिमानतः छह महीने से अधिक नहीं, ले जाया जाएगा।

बी.

सी.

55.3.2.अरुमुगम सर्वई 7 में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, राज्यों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है यदि यह पाया जाता है किः

(i) ऐसे अधिकारियों ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद इसे नहीं रोका, या

डी.

((ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी थी, ऐसे अधिकारियों ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

55.3.3.अंतरजातीय विवाह के जोड़ों के उत्पीड़न और धमकी की याचिकाओं/शिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में विशेष प्रकोष्ठ बनाएंगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला आदि-द्रविड़ कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।

ई.

55.3.4.ये विशेष प्रकोष्ठ ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने और दर्ज करने और दंपति को आवश्यक सहायता/सलाह और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 घंटे की एक हेल्प लाइन बनाएँगे।

एफ.

55.3.5.दंपति (ओं) के लिए ऑनर किलिंग या हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई उस उद्देश्य के लिए निर्धारित निर्दिष्ट न्यायालय/फास्ट ट्रैक न्यायालय के समक्ष की जाएगी।अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से छह महीने के भीतर अधिमानतः समाप्त होने के लिए मुकदमे को दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह निर्देश लंबित मामलों पर भी लागू होगा।संबंधित जिला न्यायाधीश उन मामलों को, जहाँ तक संभव हो, एक क्षेत्राधिकार न्यायालय को सौंपेगा ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।"

जी.

एच.

15. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि सार्वजनिक नैतिकता के स्व-नियुक्त संरक्षकों के समूहों द्वारा किए गए अपराध विभिन्न कारणों या कारणों से हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के समूह का अंतर्निहित उद्देश्य अधिकार की गैरकानूनी शक्ति का प्रयोग करना है और वह भी राज्य की मंजूरी के बिना और जनता या समुदाय के किसी भी वर्ग के मन में भय पैदा करना है।इस तरह के अपराधों की घटनाओं को रोकने या उपचारात्मक उपायों और दंडात्मक उपायों की व्यवस्था राज्य में एक ही पुलिस में निहित होगी।इसलिए, संबंधित राज्यों में एक व्यापक संरचना विकसित करनी होगी ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के भीड़ हिंसा में बदलने, जांच, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जवाबदेही और दक्षता के मुद्दों का विधिवत समाधान किया जा सके।ऐसा करते समय, इस न्यायालय द्वारा पुनः दिए गए निर्देशःका विनाश

बी.

सी.

सार्वजनिक और निजी संपत्ति (ऊपर), शक्ति वाहिनी (ऊपर) और

तहसीन पूनावाला (ऊपर) को ध्यान में रखा जाना चाहिए।16. दिशाओं के अतिव्यापी क्षेत्र हैं जो यद्यपि संबंधित निर्णय में निर्दिष्ट स्थितियों पर लागू होते हैं।वर्तमान रिट याचिका के उद्देश्य के लिए, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि व्यवस्था हाल ही में तहसीन पूनावाला (उपरोक्त) में तय की गई व्यवस्था के समान हो सकती है, जिसके कारण उक्त निर्णय में वर्णित दिशानिर्देशों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भीड़ की हिंसा में बदलने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में उचित रूप से लागू होना चाहिए।ए. बहुतायत से, हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि किसी भी शांतिपूर्ण विरोध को भीड़ की हिंसा में बदलने, जनहानि या सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में इसी तरह के अंतरिम उपाय किए जाएंगे, जिसमें मन में भय पैदा करने और आम आदमी को आतंकित करने के लिए बनाई गई हिंसा भी शामिल है।इसके तहत स्पष्ट की गई सिफारिशें/निर्देश संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल किए जाने वाले आवश्यक उपायों की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए हैं और इन री में दी गई सिफारिशों/निर्देशों के अतिरिक्त हैंः

डी.

ई.

एफ.

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर):

A. संरचनात्मक और निवारक उपाय

जी.

क) तहसीन पूनावाला (उपरोक्त) में निर्धारित नोडल अधिकारी (ओं) को दी गई जिम्मेदारियों के अलावा, उक्त नोडल अधिकारी (ओं) जिले के भीतर थिएटर, सिनेमा हॉल, संगीत स्थल, प्रदर्शन हॉल और केंद्र और कला दीर्घाओं सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की एक सूची बनाने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

एच.

743

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

और पिछले 5 (पाँच) वर्षों में भीड़ की हिंसा द्वारा हमला/क्षतिग्रस्त किए गए कमजोर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों और संपत्ति को इंगित करते हैं।प्रतिष्ठानों के किसी भी नए उद्घाटन/समापन के लिए इस सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

ख) पैराग्राफ में निर्धारित हथियारों के खिलाफ निषेध के अलावा

12 (II) इन रेःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर),

बी.

विरोध/प्रदर्शन के दौरान किसी भी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित हथियार, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा पाए जाने पर प्रथम दृष्टया हिंसा करने का इरादा माना जाएगा और उस संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ग) राज्य सरकारों को अधिमानतः जिलेवार त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन करना चाहिए जो भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हों और जिन्हें भीड़ की हिंसा के कृत्यों का जवाब देने के लिए जल्दी से जुटाया जा सके।इन दलों को कमजोर सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के आसपास भी तैनात किया जा सकता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

सी.

घ) राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष हेल्प लाइन स्थापित करनी चाहिए।

डी.

ई) राज्य पुलिस भीड़ हिंसा और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विनाश की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट और अपने इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन (ओं) पर एक साइबर-सूचना पोर्टल बनाएगी और उसका रखरखाव करेगी।

ई.

B. आसन्न भीड़ हिंसा को कम करने के उपाय**,** यदि समाप्त नहीं किए जाते हैं

क) नोडल अधिकारी (ओं) भीड़ हिंसा की घटनाओं के दौरान पुलिस स्टेशनों, अग्निशमन दस्तों, अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों सहित स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करेंगे ताकि स्थिति पर व्यापक और समेकित प्रतिक्रिया हो सके।ख) अधिकारियों को गैर-घातक भीड़-नियंत्रण उपकरणों, जैसे पानी की तोपों और आँसू गैस के उपयोग पर विचार करना चाहिए, जो लोगों को कम से कम चोट पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही, भीड़ बल के खिलाफ एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करते हैं।

एफ.

जी.

ग) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौके पर पाए गए उपद्रवियों की गिरफ्तारी सही तरीके से की जाए।

घ) नोडल अधिकारी सोशल मीडिया पर उचित प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार उचित कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं और

एच.

इंटरनेट-आधारित संचार सेवाएँ या मोबाइल अनुप्रयोग, भीड़ हिंसा की प्रासंगिक अवधि के दौरान कानून के सक्षम प्रावधानों को लागू करके, यदि स्थिति आवश्यक है।

ई) नोडल अधिकारी (ओं) को शांति बहाल करने और अफवाहों को रोकने/नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए और विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों से संदेश जारी करने चाहिए।इसका विस्तार स्थानीय टीवी चैनलों, रेडियो स्टेशनों, सोशल मीडिया जैसे ट्विटर आदि पर संचार जारी करने तक हो सकता है।

बी.

C. हिंसा करने वाले व्यक्ति की देयता

क) यदि हिंसा के आह्वान के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति को नुकसान होता है, और किसी प्रवक्ता के माध्यम से या किसी समूह/संगठन (ओं) के सोशल मीडिया खातों के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति (ओं) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153 ए, 295 ए के सहपठित 298 और 425 के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

सी.

ख) ऐसे उदाहरणों में जहां किसी समूह/संगठन ने विरोध या प्रदर्शन किया है जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई है और संपत्ति को नुकसान हुआ है, ऐसे समूह/संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों को 24 (चौबीस) घंटों के भीतर पूछताछ के लिए खुद को उस पुलिस स्टेशन में पेश करना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में हिंसा और क्षति हुई है।ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी पर्याप्त कारण के इस तरह से खुद को पेश करने में विफल रहता है, उसके खिलाफ संदिग्ध के रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसमें कानून के अनुसार भगोड़ा घोषित किया जाना भी शामिल है।ग) हिंसा के किसी भी कार्य को करने या शुरू करने, बढ़ावा देने, उकसाने या किसी भी तरह से ऐसा करने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि या संपत्ति को नुकसान होता है, ऐसी हिंसा के कारण हुए परिमाणित

नुकसान को जमा करने या ऐसे परिमाणित नुकसान के लिए प्रतिभूति प्रदान करने पर सशर्त जमानत दी जा सकती है।हिंसा के ऐसे कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के मामले में, उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से, अलग-अलग और अप्रत्यक्ष रूप से परिमाणित नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।यदि उचित प्राधिकारी द्वारा नुकसान की मात्रा निर्धारित की जानी बाकी है, तो जमानत आवेदन की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश निर्णय के पैराग्राफ 15 में बताए गए सिद्धांत पर अस्थायी नुकसान की राशि (जो उचित प्राधिकारी द्वारा उसके अंतिम निर्धारण के अधीन होगी) की मात्रा निर्धारित कर सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

सुनवाई के बाद सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर)

उस संबंध में मामले का अभियोजन करने वाले राज्य/एजेंसी की प्रस्तुतियाँ।

एच.

745

कोडंगलूर फिल्म सोसायटी और ए. एन. आर. बनामयू. ओ. आई. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

D. पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी

क) जब हिंसा के किसी भी कार्य से संपत्ति को नुकसान होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को वैधानिक अवधि के भीतर जहां तक संभव हो, प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और जांच पूरी करनी चाहिए और उस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।पर्याप्त कारण के बिना वैधानिक अवधि के भीतर एफ. आई. आर. दर्ज करने और जांच करने में विफलता को संबंधित अधिकारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही माना जाना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है।

बी.

बी) चूंकि नोडल अधिकारी (ओं) प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों और संपत्ति के खिलाफ भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए समग्र जिम्मेदारी रखते हैं, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने और/या उस संबंध में जांच करने में किसी भी अस्पष्ट और/या अप्रमाणित देरी को भी उक्त नोडल अधिकारी (ओं) की ओर से निष्क्रियता माना जाना चाहिए।

सी.

ग) पैराग्राफ 5 (iv) में उल्लिखित वीडियोग्राफी के संदर्भ में, 10

और 12 इन रेःसार्वजनिक और निजी संपत्तियों का विनाश (ऊपर),

प्रभारी अधिकारी को पहले संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा बनाए गए स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों के पैनल से घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन करना चाहिए।यदि उक्त वीडियो ऑपरेटर किसी भी कारण से घटनाओं को रिकॉर्ड करने में असमर्थ हैं या यदि प्रभारी अधिकारी की राय है कि पूरक जानकारी की आवश्यकता है, तो वह निजी वीडियो ऑपरेटरों से भी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कह सकते हैं और मीडिया से अनुरोध कर सकते हैं।

डी.

ई.

घ) ऊपर बताए गए ऐसे अपराधों से संबंधित जांच (ओं)/परीक्षण (ओं) की स्थिति रिपोर्ट, जिसमें ऐसे परीक्षण (ओं) के परिणाम भी शामिल हैं, नियमित रूप से संबंधित राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

एफ.

ङ) ऊपर बताए गए ऐसे अपराधों को करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) के बरी होने की स्थिति में, नोडल अधिकारी (अधिकारियों) को ऐसे बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए लोक अभियोजक के साथ समन्वय करना चाहिए।

ई. क्षतिपूर्ति

जी.

क) वह व्यक्ति/व्यक्ति जिसने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ हिंसा का कोई कार्य शुरू किया है, बढ़ावा दिया है, उकसाया है या किसी भी तरह से किया है या जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन की हानि या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान होता है, उसे ऐसी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

एच.

ख) हिंसा के ऐसे कृत्यों से उत्पन्न होने वाले दावों से अनुच्छेद 15 में निर्धारित तरीके से निपटा जाना चाहिएःजनता का विनाश

और निजी संपत्तियाँ (ऊपर)।

ग) यह क्षतिपूर्ति किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति, चल और अचल, के नुकसान के संबंध में होनी चाहिए।18. हमने ऊपर जो सिफारिशें की हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आज से 8 (आठ) सप्ताह की अवधि के भीतर यथासंभव तेजी से लागू किया जाना चाहिए।19. विदा लेते समय, हम भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, याचिकाकर्ताओं के वकील और इस मामले में उपस्थित अन्य वकीलों द्वारा दी गई सक्षम सहायता और रचनात्मक सुझावों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करते हैं।

बी.

सी.

20. हम तदनुसार रिट याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा करते हैं।

निधि जैन याचिका का निपटारा किया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.